राजस्थान विधान सभा

८ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–२ दिसम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–४१ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन).

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री हिम्मतसिंह—There is no quorum, Sir.

श्री अध्यक्ष—During Question hour there is no need of a quorum.

(विराम)

प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ५६.

वर्तमान वर्ष में वन विभाग की रकम अधिकारियों के पास जमा कराने पर केवल कच्ची रसीद देना

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में डी० एफ० ओ० जयपुर के मातहत किन २ स्थानों पर वन विभाग की रकम अधिकारियों के पास जमा कराने पर कच्ची रसीदें उनके द्वारा दी गई ?

(ख) ऐसे कौन कौन स्थान हैं जहां रसीद बुक के अभाव में रकम की वसूली भी स्थगित करनी पड़ी ?

(ग) उक्त डी० एफ० ओ० के मातहत किन किन कर्मचारियों के पास कितने २ समय तक रसीद बुक का अभाव रहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) कायमपुरा ग्राम में ब्रवाल नाके के नाकेदार ने रकम वसूल कर कच्ची रसीद जारी की व दूसरे ही रोज किशनगढ़ रेंज में रकम जमा करवा पक्की रसीद जारी की।

(ख) केवल किशनगढ़ एवं ब्रवाल के नाकों पर वसूली स्थगित रखनी पड़ी।

(ग) किशनगढ़ के नाकेदार के पास केवल १५ दिन व ब्रवाल के नाकेदार के पास १ माह तक रसीद बुक का अभाव रहा।

श्री चांदमल मेहता—कच्ची रसीदें देने का क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पक्की रसीदें उसके पास नहीं होने के कारण से?

श्री चांदमल मेहता—रसीदों के अभाव का क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अनुमान की गलती के कारण।

श्री चांदमल मेहता—किसकी गलती बतायी आपने?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अनुमान गलत होने से कि इस जगह पर इतनी रसीदें चाहिए या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन अधिकारी हैं कि जो इस तरह से अनुमान गलत करने की गलती करते हैं और जिसकी वजह से कच्ची रसीदें देने का मौका आता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बोनाफाइड मिस्टेक है जो हरएक से हो जाती है। डी० एफ० ओ० ने जितनी रसीदों की जरूरत थी उतनी रसीद डिस्ट्रिब्यूट कर दी लेकिन जब रसीदें कम हो गईं तो नाकेदार को दूसरे नाके से लाना पड़ा होगा और हो सकता है कि पहले इस प्रकार लाने का काम न पड़ा हो; उसका अनुमान गलत होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह कच्ची रसीदें देने का प्रोसीजर बन्द करने के बारे में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां, हिदायतें दी गई थीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह की हिदायतों के बावजूद भी उनकी अवहेलना के कारण कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती?

Page No.3

श्री बृजसुन्दर शर्मा–हिदायतें दी गई थी। लेकिन पक्की रसीदें दो ही जगह कम मालूम हुई हैं। यह बोनाफाइड मिस्टेक थी और इसमें किसी की गलती नहीं पायी गई। इसके लिए वार्निंग दे दी गई कि आयन्दा कच्ची रसीदें जारी नहीं की जांय।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डी० एफ० ओ० जयपुर के मातहत सभी स्थानों पर रसीदों की कॉपियां नहीं भेजी गई थीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इन दो जगहों की तो मुझे मालूम है कि यहां रसीदें खत्म हो गई थीं, बाकी के लिए कोई इत्तला नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इत्तला तो मांगी ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि डी० एफ० ओ० के मातहत जो जो भी स्थान हैं उनमें आमतौर पर फोरेस्टर्स के पास रसीद बुक्स काफी नहीं थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इन्हीं दो जगहों के अलावा सब जगह थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फोरेस्टर्स ने बार बार यह मांग की कि रसीदें बुक्स हमारे पास भेजी जायं, लेकिन उसके बावजूद भी रसीदें नहीं दी गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सही नहीं है।

श्रीराज हिम्मतसिंह—या ऐसा हो सकता है कि रसीद बुक्स छपकर उनके पास नहीं भेजी गई हों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रसीद बुक्स छापने के बारे में अव्यवस्था थी और इसीलिए डी० एफ० ओ० जयपुर के मातहत जो स्थान हैं उनमें कहीं रसीदें नहीं पहुँची ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी बात नहीं है। रसीद बुकें जहां कम हुई वहां ही आवश्यकता पड़ी; दूसरी जगह से मंगवाकर १५ दिन के बाद दे दी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माना जाय कि इस अव्यवस्था के कारण वसूली के काम में ढिलाई रही ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वसूली तो कहीं जाती नहीं सरकार की क्योंकि उसके लम्बे हाथ होते हैं। बाद में भी की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

Page No.4

प्रश्न संख्या ६०

वर्तमान वर्ष में जयपुर डिविजन में कुछ बीड़ों के ठेके स्थगित करने के शासकीय आदेश

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में जयपुर डिविजन में किन २ स्थानों के बीड़ों के ठेके स्थगित रखने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये ?

(ख) उक्त बीडों के ठेके वापिस दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा कब जारी किये गये ?

(ग) बीडों के ठेके लम्बे समय तक स्थगित रखने के क्या कारण हैं ?

(घ) किशनगढ़ सब डिविज़न के किन २ ग्रामों के किसानों ने कब २ उक्त ठेकों के स्थगित रखने के आदेश को वापिस लेने के आवेदन, पत्र प्रेषित किये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)— (क) सौ बीड़ों के।

(ख) दिनांक २२. ६. ५५ को।

(ग) चारे के अकाल पड़ने की आशंका के कारण बीडों का ठेके पर दिया जाना स्थगित रक्खा गया था, और बीडों में चराई बन्द की थी।

(घ) ग्रामीण जनता लाम्बा ने दिनांक २४. ६. ५५ को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया।

(ङ) किशनगढ़ सब डिविजन में निम्नलिखित बीड़ों में मवेशी छोड़ने के आदेश इस तारीख तक नही दिये गये :

१. तीखल्या	२. डीडवाना	३. बांदर सींदरी
४. सरगांव	५. बरना	६. माला
७. भामालाव	८. सिरोंज	९. डागड़ा
१०. डांग	११ जोलखा	१२. मियावली
१३. गुदरयियां	१४. जोधावल	१५. लांवा
१६. गोंटियाना	१७. दसूक	१८. मंडालाव
१९. त्योंद	२०. बाराना	२१. फोल
२२. धल	२३. सालरमाला	

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अकाल की स्थिति होते हुए और मवेशी को चारे की अत्यन्त आवश्यकता होते हुए भी जिन बीड़ों में आम तौर पर मवेशी छोड़ी जाती थी उनको इसी वजह से रोका गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां। घास की कमी थी। अगर पानी नहीं बरसता तो चराई का सवाल नहीं उठता और हमको काट कर सप्लाई करना पड़ता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बारिश होने के बाद और घास पनप जाने के बाद भी दो महीने तक उसको पेन्डिंग रखा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दो महीने तक पेन्डिंग रखने का सवाल नहीं है। जब अच्छी बारिश हो गई और यह ठीक तरह से जंचने लगा कि घास ठीक हो जायगी और किसी तरह से उसकी कमी नहीं आयगी तब जाकर जांच पड़ताल करने के बाद यह आज्ञायें जारी की गईं कि मवेशी उन में छोड़ी जा सकती हैं और वे बीड़ निलाम किये जा सकते हैं। जुलाई-अगस्त तक तो यह आशंका थी कि घास की कमी पड़ेगी और घास नहीं बढ़ेगा तब तक उनको रोका जाना मुनासिब था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है जैसा कि मंत्री महोदय बताते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में इस तरह की शंका थी किन्तु उसके निर्मूल होने के बाद भी काफी समय तक बीड़ों में मवेशी को छोड़ने के लिए आदेश जारी नहीं हुए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२२-९-५५ को आदेश जारी हुए थे। बारिश के हो जाने से घास के अकाल की आशंका नहीं थी। उसके पश्चात् बीड़ ठेके पर दिये जाने थे, जो दिये गये और मवेशी छोड़ी जानी थी जो छोड़ी गई। अगस्त और सितम्बर में आदेश जारी हुए!

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के आदेश जारी होने के बावजूद भी जिन बीडों में मवेशी छोड़ी जाने की बात कही जाती है तो किशनगढ़ सब डिवीजन में मवेशी नहीं छोड़ी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२२-९-५५ के हुक्म के जारी हो जाने के बाद भी मुझे मालूम है कि कई लोग दरख्वास्तें लेकर आये थे। जब यह हुक्म २२-९-५५ को जारी हुआ तो पहले कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट्स कोटा के पास भेजा गया और उसके पश्चात् डी. एफ. ओ. के पास और इसमें आठ-दस दिन का विलम्ब होना स्वाभाविक है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने यह कहा कि ३१ अक्टूबर तक बीड़ों को ठेके पर नहीं दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस आज्ञा की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में घास के अकाल की आशंका थी और उसके बाद आशंका निर्मूल हो गई बारिश हो जाने से और २२-९-५५ को आदेश जारी किये गये, तो उसके बाद ३१ अक्टूम्बर के पहले उन बीडों को ठेके पर नहीं दिये जाने के क्या कारण थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२२-६-५५ को आदेश जारी हुए। पहुँचने में भी टाइम लगता है। उसके बाद फिर नक्शे तैयार किये जाते है कि किन २ बीड़ों का ठेके के लिए नीलाम किया जाना है और किन किन बीड़ों में मवेशी छोड़ी जानी है। उसके लिए टाइम दिया जाता है और यह फन्कशन अच्छी तरह होने के बाद ठेकों की बोली होती है और फिर ये मंजूरी के लिए आते हैं। उनकी मंजूरी होती है और उसमें कोई नुकसान होता नहीं है क्योंकि घास नवम्बर में कटना शुरू होता है और उससे पहले मवेशी को उन बीडों में जाने भी नहीं देते है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीजन के कितने बीडों के ठेके दिये गये है उनमें किसी में कटाई नहीं होती है और चराई होती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हो सकता है। चराई के बाद बन्द हो जाते हों....

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन बीड़ों के ठेकों की मंजूरी नहीं होने से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को परेशान होकर राजस्थान से या किशनगढ़ सब डिवीजन के बाहर जाना पड़ा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वापिस बाहर से आगये होंगे। (विराम) कोई चला गया होगा तो वापिस आ गया होगा।

श्री चांदमल मेहता—चला नहीं गया। उनको बीडों में जाने का हक है। बीडों में मवेशी छोडने की इजाजत नहीं देने से परेशान होकर दूसरी जगह मवेशी लेकर उनको जाना पडा जब कि वहां काफी चारा था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन यह सही नहीं हो सकता। मैंने खुद ने किशनगढ़ और अराई तहसील में वापिस जानवरों को आते हुए देखा था।

श्री चांदमल मेहता—लाम्बा की तरफ से जो प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था उस प्रार्थना-पत्र के कितने दिन बाद वहां की बीड़ में मवेशी छोड़े गये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अलग से सवाल पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—यह अलग सवाल नहीं है। मैंने पूछा था, किशनगढ सब डिविजन के किन किन ग्रामों के किसानों ने कब कब उक्त ठेकों के स्थगित रखने के आदेश को वापिस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया और उनको कितने समय तक पेन्डिग रखा गया आपके विभाग में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जितना समय इस कार्यवाही में लगना चाहिये उतना ही समय लगा होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो प्रोसीजर अपनाया जाता है इस ढंग के प्रोसीजर से जनता को जल्दी और सस्ता न्याय नहीं मिलता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिए जो कुछ भी प्रोसीजर है वह निश्चित है। शुरू से आखिर तक और आमद और रवानगी पर तो कागज़ चढ़ाया जाता है इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री चांदमल मेहता—सरकार इस प्रोसीजर को ख्याल में रखते हुए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक बीडों के ठेके देने का ताल्लुक है इस बात के लिये सोचा जा रहा है कि हरेक की दरख्वास्त है कि ठेके की नीलामी के मन्जूर शुदा कागज गवर्नमेन्ट के पास नहीं आवें, कुछ हद तक चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट या कन्जर वेटर आफ फोरेस्ट को ये अधिकार दे दिये जावें।

प्रश्नोत्तर काल में गण-पूरक की आवश्यकता सम्बन्धी

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, में एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूं। अभी जब एक माननीय सदस्य ने 'सदन में कोरम नहीं है', ऐसा सवाल उठाया था तो माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि प्रश्नोत्तर काल में कोरम की आवश्यकता नहीं रहती। शायद यह उनके खयाल से ठीक होगा किन्तु हमारे लेजिस्लेचर के जो एग्ज़िस्टिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, जिस रूल में कोरम का विषय लिया गया है वह रूल ७६ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई मेम्बर सदन में कोरम नहीं है इस बात की ओर चेयर का ध्यान आकर्षित करे कि सदन में कोरम नहीं है तो अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे घण्टी बजाकर या तो कोरम पूरा करें या हाउस को उस दिन स्थगित कर दें। इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह कहीं नहीं है कि सवालों के समय में कोरम की आवश्यकता नही रहती। यह प्रोसीजर और जगह हो सकता है। इसको स्पष्ट किया जाय, ताकि हमारा सन्देह दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कार्य विधान सभा के समक्ष लिया जाता है उसमें पहला एक घंटा प्रश्नोत्तरकाल के लिए दिया जाता है और प्रश्नोत्तरकाल में केवल प्रश्न ही पूछे जाते हैं और जवाब दिये जाते हैं। उस समय में न कोई प्रस्ताव पास होते हैं और न किसी प्रकार का विधाई कार्य ही लिया जाता है। अगर कोई ऐसी बात की जाय जिसमें कोई लेजिस्लेटिव बिज़नेस आये या प्रस्ताव आये तो उस समय कोरम की जरूरत होती है; वरना प्रश्नोत्तरकाल में कोरम का होना आवश्यक नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मौजूदा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसा कहीं रूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—We are not transacating any business in the House. Unless we transact any business in the House it is not necessary that there should be quorum. If we take a major decision then the quorum is necessary. The first hour for questions hour is no doubt a part of the time that we meet but then the regular business is transacted during the question-hour. So the quorum is not necessary during the question-hour.

कु० श्री जसवन्तसिंह—With your permission, I may read Rule 79.

श्री अध्यक्ष—Everybody has got a copy of our Rules.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Would you permit me to read it ?

श्री अध्यक्ष—That is already there. I have read it. If you want you can discuss it with me in my Chamber, but I don't think the quorum is necessary during the question-hour.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Whether it is necessary or not, is very clear, as long as our Rules are not changed and we follow them, which are in vogue. According to the present Rule 79 it is definitely necessary.

श्री अध्यक्ष—It is not necessary to discuss this matter here and if the hon'ble member wants to discuss this academical matter, he can come to my chamber. It is not necessary to raise such a question when the quorum is full.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Well I had raised a point of order.

श्री अध्यक्ष—Now that the time has gone and the quorum is full, the question does not arise:

कु० श्री जसवन्तसिंह—Well, if you are bent upon curtailing our rights...

श्री अध्यक्ष—Order Please ! It is not the right when the quorum is full, there is no question of any point of order on quorum and if the hon'ble member is very keen to discuss academical point it is not necessary to waste the time of the House now.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It is my right to raise a point of order.

Page No.9

श्री अध्यक्ष—It is no body's right to waste the time of the House. When there is no point of order it is not the right of any member to waste the time of the House. The question of point of order does not arise. If the hon'ble member wants to discuss in vacuum, I don't think it is his right to do so.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I am very sorry. I can accept the challenge that I am not speaking in the vacuum, I am speaking on the basis of the rules of Procedure.

श्री अध्यक्ष—But there is no question of quorum when the House is full.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The point is this that I am ...

श्री अध्यक्ष—I am not prepared to allot any time. If the hon'ble member is very keen to disuss any point on any of the rules of our Rules of Business, it is not the time to discuss them here.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I have a point of order.

श्री अध्यक्ष—Where is the point of order ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—The point of order is that you have given a ruling.

श्री अध्यक्ष—I hav oebservcd. Ruling is given whan a point of order is raised. But I have observed that during question hour it is not necessary to have a quorum but by the time the hon'ble member asked the question of a quornm, the House was full. What is the use of discussing things in vacuum when the things have already passed ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Our rights are curtailed.

श्री अध्यक्ष—If the hon'ble member pleases in discussing things wich now here exist, he can please himself.

Yes, Shri Chandmal Mehta

कु० श्री जसवन्तसिंह—Well it is very good of you to have curtailed our rights.

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६१

परवतसर तहसील में रोड फीस नामक कर

श्री चांदमल मेहता— क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) परबतसर तहसील में रोड फीस के नाम से क्या कोई टेक्स वन विभाग द्वारा वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो कहां कहां और किस रेट पर ?

(ग) इस प्रकार का टैक्स राजस्थान में अन्यत्र कहां कहां वसूल किया जाता है ?

(घ) उक्त टैक्स किस कानून के अन्तर्गत वसूल किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

(ख) खुदियावास चौकी दर रेट निम्न है:—

ट्रक	रबड़ टायर वाली गाडी	बिना रबड की गाडी	बाईसिकल
१ रू.	।।)	।)	।) आ.
ऊंट	बैल खच्चर	गधा	
दो आना	दो आना	डेढ़ आना	

(ग) इस प्रकार टैक्स जोधपुर में भी वसूल किया जाता है।

(घ) भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा प्रचलित शरह नामे के अनुसार यह टेक्स वसूल होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार जो जोधपुर रियासत के वक्त कानून था उसी को अभी तक लागू रखना मुनासिब समझती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फोरेस्टे रोड्स जो हैं वह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा उसके लिये किराया लिया जाता है; फोरेस्ट रोड्स के बारे में जो कुछ खर्चा होता है उसके लिये ऐसे ग्रूप्स बने हुए हैं। बहुत से भूत पूर्व रियासतों के समय से जारी किये गये हैं। उस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। उसको रखा जायगा नहीं। इसके बारे में फाइनल निर्णय जो होगा वह बता दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—फोरेस्ट एक्ट के लागू होने के बाद में क्या यह सही है कि जो कोई भी टेक्स वसूल किया जाय वह उस एक्ट के अनुसार हो, और कोई वसूल नही किया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह ठीक है कि फोरेस्ट एक्ट लागू है किन्तु उसके साथ साथ पुरानी रियासतों के जमाने के शर नामे भी तो चालू हैं।

श्री चांदमल मेहता—इस सदन में दो मर्तबा माननीय वनमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार के जो टेक्स हैं वे बन्द कर दिये जावेंगे। उनके अब तक बन्द नहीं होने का कारण क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनके बारे में एक कमेटी बिठाई गई है जो यह देखेगी कि कौन कौन से टेक्स बन्द कर दिये जायं ? उसकी रिपोर्ट आ गई है, इस पर विचार करके अन्तिम निर्णय से आपको सूचना दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—एक बार जो आश्वासन सदन में दिया गया, क्या सरकार अपने आपको उसका पाबन्द नही समझती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ही यह कमेटी बिठायी गई है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भी एक्शन उचित होगा लिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—कमेटी के रिपोर्ट का आधार ही सवाल नहीं। विधान सभा में एक कटौती के प्रस्ताव के ऊपर यह कहा गया कि यह टेक्स अनुचित है, कायदे के खिलाफ है इसलिये यह हटाया जाना चाहिए। तो जो इस प्रकार के शब्द विधान सभा में कहे गये तो क्या मन्त्रियों के परिवर्तन होने से क्या नीति में भी परिवर्तन हो जाते हैं और आश्वासन में भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं और कमेटी बनाकर इस पर सोचना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अनुचित और विधान के खिलाफ तो नहीं बताया गया, ऐसा मालूम हुआ है। पर यह मालूम हुआ कि जांच करके बन्द करने की कार्यवाही की जावेगी मुनासिब होगा तो।

श्री चांदमल मेहता—तो यह जो कुछ कहा गया इसके बाद जांच को खत्म होने में कितना समय लगेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज किया कि रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार के कन्सीडरेशन में है। अब उस पर ऑर्डर पास करना बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—यह रिपोर्ट किसने सबमिट की और कब सरकार के सामने आई ?

Page No.12

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो कमेटी उसके लिए मुकर्रर की थी; उसकी तारीख और कमेटी के बारे में आगे अलग सवाल होता तो जवाब देता । अभी तो यह इन्फोर्मेशन कि कब रिपोर्ट आई, कौन कौन सदस्य थे, मेरे पास इस समय नहीं हैं ।

श्री चांदमल मेहता—विधान सभा में आश्वासन देने के कितने समय बाद इस तरह की कमेटी बनी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं जब निवेदन करता हूँ कि कब बनी और तारीख क्या थी, इसका मुझे इस समय इल्म नहीं है तो इसके लिए तो आप अलग से सवाल पूछें । बार बार उत्तर देने पर भी यह सवाल कैसे उठता है, समझ में नही आता ?

प्रश्न संख्या ६२

बीकानेर जोहड़ बीहड़ में नाजायज रेवड़ चराने के बारे में शिकायत

श्री प्रभुदयाल—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास बीकानेर जोहड़ बीहड़ में नाजायज़ रेवड़ चराने के बारे में शिकायतें आई हैं ?

(ख) अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि वहां के इन्सपेक्टर ने करीब ३० रेवड़ों को नाजायज़ चराने का हुक्म दे दिया है ?

(घ) क्या सरकार के पास रेवड़ चराने की रकम जमा हुई है ? अगर हां, तो कितनी ? अगर नहीं, तो क्या सरकार खुली जांच करायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वनमंत्री)—(क) जी हां । तीन शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए ।

(ख) एक गुम नाम थी, जिस पर जांच की गई; किन्तु कोई सबूत नहीं मिला । अन्य दो प्रार्थना-पत्रों पर जांच जारी है ।

(ग) जी नहीं, नियमानुसार १६ रेवड़ों को एक नवम्बर से ३० जून तक चराने की इजाजत दी गई ।

(घ) जी हां, ६४३।।।) ।

श्री प्रभुदयाल—रकम कितनी वसूल हुई ?

Page No.13

श्री बृजसुन्दर शर्मा—६४३।।।) रु० ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ६३

सेल्स टैक्स विभाग में नये कर्मचारियों की नियुक्तियां

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१ अप्रेल, १९५५ के बाद में सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में कुल कितने नये कर्मचारियों की नियुक्तियां किस किस ग्रेड में व किस आधार पर की गई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) १ अप्रेल, ५५ के बाद एक्साइज़ व टेक्सेशन विभाग में केवल सेल्स टैक्स से सम्बन्ध रखने वाले ५ पदों की अस्थायी रूप से पूर्ति की गई है ।

(ख) उक्त पदों का विवरण यह है ।

(अ) १ इन्सपेक्टर १००।५।१५० ई बी १०।२०० :

(ब) ४ लोवर डिविजन क्लर्क ५०।४।९० ई बी ५।१२० ।

(स) इन कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति योग्यता व अनुभव को देख कर की गई। नियुक्ति के पहले उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था । जहां तक इन्सपेक्टर के पद का सम्बन्ध है, स्थायी नियुक्ति जन-सेवा आयोग अर्थात् पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जावेगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों की नियुक्तियां करने से पूर्व कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपको निवेदन किया कि स्थायी नियुक्तियों के लिए पी. एस. सी. द्वारा आवेदनपत्र मांगे जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो मेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूँ । आप क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं, वह मैं नहीं चाहता । मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो नियुक्तियां की गई उनके लिये आवेदन, पत्र मांगे या नहीं मांगे ?

——— ———

Page No.14

श्री अमृतलाल यादव—इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा कि उनकी योग्यता व अनुभव आदि बातें देखकर फैसला किया गया, तो फिर वगैर आवेदन-पत्र प्राप्त किये ही उन्होंने फिर फैसला कैसे और किस आधार पर कर दिया ?

श्री अमृतलाल यादव—जो आवेदन-पत्र स्वयं आवेदकों की तरफ से आये उन्हीं पर विचार करके जो ठीक लगा उनको किया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि लोअर डिविजन क्लर्क की नियुक्तियां उस वक्त की गईं जब कि कस्टम विभाग के आदमी फालतू फिर रहे थे और उन्हें काम नहीं मिल रहा था ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, यह सही नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—इन लोअर डिविजन क्लर्क्स की नियुक्तियां कब की गईं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो अलग से पूछें, तारीख इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—Now questions are over.

(विराम)

Demands for supplementery grants

शेष रही अनुपूरक मांगों पर गुलेटीन न लगाने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ५३

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल साहब अनाउन्स कर दिया गया था ग्युलेटिन के लिए ।

श्री अध्यक्ष—Gulletine to be applied at the beginning ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल तो ऐसा ही कहा गया था, टाइम हो गया था ।

श्री अध्यक्ष—Why was it not applied ? For gulletine there is no time now. It is to save time.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल अनाउन्स कर दिया गया था साहब । दो दिन के लिए यह रक्खा गया था ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अनाउन्स किसने कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष ने कर दिया था।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—तो फिर यह कल ही होता।

श्री अध्यक्ष—After announcement the gulletine must have been applied then and there.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कहा गया था, कल क्वेश्चन अवर के बाद में।

कु० श्री जसवन्तसिंह—किस रूल के ताबे होगा, कैसे होगा ? अगर आर्बिट्रेरिली ऐसा ही करना है तो कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—What is the wish of the House ? If they don't want to discuss, we may proceed.

श्री हिम्मतसिंह—मेरा कट मोशन है साहब। There are cut motions of others as well and members want to discuss.

श्री अध्यक्ष—No. But there must be time limit also.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो फिर टाइम लिमिट कर दीजियेगा साहब, नहीं तो फिर कल की तरह हो जावेगा। डिस्कशन होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the House ?

श्री चांदमल मेहता—कुछ अधिक कट मोशन्स नहीं हैं, और बहुत अधिक मौका मिलता है तो वक्त दे दिया जावे, साहब।

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी दिया गया है कल।

श्री अध्यक्ष—There are 57.

श्री हिम्मतसिंह—There are few cut motions.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—There are six cut-motions. ठीक है साहब तो फिर चलने दीजिये। Let us discuss then. Five minuts for each will do.

श्री अध्यक्ष—We can sit upto 10. We are saving some time out of the question hour these days.

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३–चिकित्सा

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५३, मैजर हैड ३८-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया ९,३०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई कट मोशन नहीं है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मेजर हैड ३८-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया ९३,०००) तक की राशि प्रदान की जावे। यह जो मांग है इसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकर की गई—श्री रामनिवास मिर्धा।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५५-कृषि

श्री वृजसुन्दर शर्मा—(श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५५, मेजर हैड ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ७,९८,०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५५, मेजर हैड ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में लिये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया ७,९८०००) तक की राशि प्रदान की जावे। यह जो मांग हैं इसे स्वीकार किया जावे।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५४--जन स्वास्थ्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५४, मेजर हैड ३९-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया ३,१५,०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक कनुदान के लिये गांग संख्या ५४-जन-स्वास्थ्य स्वीकार की जाय

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५८–विविध-विभाग

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५८, मेजर हैड ५७-विविध विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,२२,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष — अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५८-विविध विभाग। श्री एच. के व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५८, मेजर हैड ५७–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ८,२२,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६७-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्यां ६७- मेजर हैड ८१, राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६०,३६,०००) रू० तक की राशि, प्रदान की जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— मूव तो होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—There is no cut-motion and we can take it as moved and the question put.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Then we can take anything.

श्री अध्यक्ष—If the hon'ble member is keen...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am not keen.I am only pointing out the procedure

श्री अध्यक्ष—The procedure is also this that it may be taken as moved. We have been following this procedure for the last four years.

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६२-दुर्भिक्ष

श्री अध्यक्ष— मांग संख्या ६२-दुर्भिक्ष We can take it as moved.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Yes Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६२, मेजर हैड ५४-दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५,५०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५६-पशु-चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ५६-पशु-चिकित्सा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--We take it as moved.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५६, मेजर हैड ४१-पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,९९,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुगान की मांग संख्या ५९-नागरिक निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ५९-नागरिक निर्माण कार्य । We take it as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५९, मेजर हैड ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,६०,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५९-नागरिक निर्माण कार्य [भवन व सडकें इत्यादि)

We take it as moved

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५९, मेजर हैड ५०—नागरिक निर्माण कार्य (भवन व सडकें (संयुक्त) संस्थापना औजार यंत्र सम्बन्धी) के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,१६,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६०- बहु प्रयोजन योजनाओं से सम्बन्धित राजस्व व्यय

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ६०. We take it as moved, unless the Minister wants to say something.

श्री रामनिवास मिर्धा—मूव तो हो गया है।

श्री अध्यक्ष—Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६०, मेजर हैड ५१-ख बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,६७,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४८--सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ४८। We take it as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४८, मेजर हैड २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,१६,०००) रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५७-सहकारिता

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५७-सहकारिता। We take it as moved?

श्री रामनिवास मिर्धा—yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ५७ पर मेरे दोनों कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव है कि इस मांग में एक रुपये की कमी की जाय। (निरीक्षक प्रशिक्षण में ठीक नीति निर्धारित नहीं करने पर विचार करने हेतु)

अध्यक्ष महोदय, एक मांग है सामने और उस मांग के लिए रुपया चाहा जा रहा है जो कोऑपरेटिव के इन्सपेक्टर्स हैं उनके प्रशिक्षण के लिये। बहुत ठीक है। इन्सपेक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, लेकिन उसके पहले ऐसी भी एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये कि हम किन २ को प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं उसके अन्तर्गत वे इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग में जायेंगे जो स्वयं निरीक्षक रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी ओर से यह फैसला किया है कि अमुक २ इन्सपेक्टर योग्य है या अयोग्य है और जो एक बार निरीक्षक की हैसियत से काम कर चुके हैं। इस प्रकार एक स्कूल के लिये उनके लिये आदेश जारी हुए हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए आदेश जारी हुए हैं। ऐसे इन्सपेक्टर्स के लिये आदेश जारी हुए हैं जो पी.एस.सी. के सिलेक्शन में टोप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं; जिनके लिये यह आशा है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के स्थान के ऊपर प्रमुखता उनको दी जायगी। ऐसे भी इन्सपेक्टर्स हैं कि जो १५, १५ महीने तक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के स्थान पर काम कर चुके हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेज रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह मानकर चलता हूँ कि सरकार के सामने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित उसूल नहीं है। वह बगैर किसी निश्चित उसूल केआधार पर ही इन्सपेक्टर्स को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। ऐसे भी मामले आये हैं जब कि सरकार से उन्होंने निवेदन किया है, उसमें लिखा है कि उन्हें क्यों प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है? तो सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर वह आगे के लिये अपने प्रमोशन के हक को छोड़ दें तो उनको इस आधार पर प्रशिक्षण से मुक्त किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को यह नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये कि अगर प्रशिक्षण में भेजना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भेजें, लेकिन इस धारा पर मुक्त किया जाना कि आगे के प्रमोशन का हक छोड़ दें, इस तरह की बात किसी भी उसूल के खिलाफ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री, सहकारी विभाग, से यह स्पष्टीकरण चाहूँगा कि आखिर वे किस नीति पर चलना चाहते हैं? क्या ऐसे आदमियों को जो सीनियर हैं उनको सीनियोरिटी से हटाकर जुनियर बनाने के लिये और आगे के लिये वह हक छोड़ दें, यह कह कर उनको वापिस जूनियर बनाना चाहते हैं। सरकार की इस नीति के आधार पर इस प्रशिक्षण की यह मन्शा है तो वैसा स्पष्टीकरण करें और दूसरी बात है तो उनको उस ढंग से स्पष्टीकरण करना चाहिए।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है पाइलोट स्कीम के अंतर्गत किशनगढ़ में क्रय विक्रय केन्द्र खोलने के विषय में। किशनगढ़ में क्रय विक्रय केन्द्र खोलने में सरकार असफल रही है इस पर मुझे विचार करना है। पॉयलोट स्कीम के अंतर्गत कुछ केन्द्र क्रय विक्रय खोले जा रहे हैं। यह

[श्री चांदमल मेहता]

बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के बड़े केन्द्र होने ही चाहिये लेकिन यह फैसला होना चाहिए कि इस तरह के केन्द्र कहां कहां और किस तरह से खोले जायेंगे और इसके लिए कौन से केन्द्र उपयुक्त हो सकते हैं। कई सोसाइटीज़ को इस केन्द्र के अंतर्गत आना पड़ेगा और उसके शेयर्स खरीदने होंगे। सोसाइटीज़ के लिहाज से कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए दूसरे स्थान भी महत्वपूर्ण होंगे लेकिन किशनगढ़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आज सरकार की दृष्टि में राजनैतिक दृष्टि से किशनगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान न भी हो लेकिन व्यापारिक दृष्टि से किशनगढ़ सर्वोच्च स्थान रखता है और सर्वोच्च स्थान होते हुए इस स्कीम के मातहत केन्द्र न खोलना और उल्टा यहां की सोसाइटी को उसके मातहत करना और उसके शेअर खरीदने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। जहां तक व्यापार का ताल्लुक है किशनगढ़ जयपुर की स्थिति को देखते हुए किसी भी हालत में पीछे नहीं है। ऐसी हालत में किशनगढ की सोसाइटी को कहा जाय कि जयपुर की सोसाइटी के शेअर लो, इसका मतलब यह होगा कि आज नहीं तो भविष्य में यदि पॉइलोट स्कीम के अंतर्गत यहां केन्द्र खुलता हो तो भी नहीं खुलेगा और उसकी संभावना को बंद करना है। तो मैं कहूँगा कि सरकार को निश्चित करना चाहिये। पहली बात यह कि कहां कहां क्रय-विक्रय केन्द्र खोलने चाहिये, दूसरी बात यह कि कहां २ यूनियन कायम करने चाहिये और तीसरी बात यह कि उन यूनियन्स के अंतर्गत कहां २ की सोसाइटीज़ को लाना चाहिये। सिर्फ यह सोचकर कि आज जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहां पर महत्वपूर्ण आदमी रहते हैं इसलिये यहां की सोसाइटीज़ को महत्वपूर्ण बतादें यह उन सोसाइटीज़ के साथ अन्याय होगा जो इन्डिपेन्डेन्ट हैं। शायद उनको इन्डिपेन्डेन्ट नहीं बनाने देना और यह कहना कि तुम को जयपुर के केन्द्र के शेअर्स खरीदने होंगे, बिल्कुल उचित नहीं है। मैं उम्मेद करता हूं कि निश्चित तौर से मंत्रीजी घोषणा करेंगे कि कहां कहां क्रय-विक्रय केन्द्र खोलने जा रहे हैं और जयपुर की यूनियन के शेअर्स खरीदने के लिये दबाव डाला गया है और शेअर्स खरीदवाये गये हैं, उनको कैंसिल करके किशनगढ को इन्डिपेन्डेन्ट करने का फैसला करेंगे। मदनगंज की जनता की ओर से एक डेपुटेशन मंत्रीजी के पास पेश हुआ था। उनकी तरफ से मंत्रीजी और रजिस्ट्रार साहब को अर्जियें भी दी गई थीं। डेपुटेशन मंत्रीजी से मिला लेकिन खेद के साथ कहना है कि मन्त्रीजी से यदि डेपुटेशन मिलता है तो ऐसे मामलों में शायद ही कभी जवाब मिलता हो और उसको कन्विन्स करके भेजा गया हो। यह केवल इसी डेपुटेशन की बात नहीं है बल्कि जनरल बात है। मैं मन्त्रीजी से यह सुनना चाहूंगा कि जो डेपुटेशन आये और उन्होंने जो वाकयात आपके सामने रखे उनके बावजूद भी किशनगढ़ में इस तरह का केन्द्र न खोलने का क्या कारण है? जब सरकार का नियम है कि सोसाइटीज़ अधिक से अधिक बढ़ाई जांय और कांग्रेस ने भी सोशियेलिस्टिक पेटर्न को अधिक महत्व दिया है तो ऐसी हालत में किशनगढ़ के बारे में मन्त्रीजी का जो दृष्टिकोण है उसको सुनने के लिये मैं बहुत उत्सुक हूं और इसीलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं समझता हूँ उस बारे में विशेष स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होनी

[श्री अमृतलाल यादव]

चाहिए। ४१,००० रुपयों की मांग की गई है, वह इस बात के लिये है जैसा स्वयं माननीय सदस्य ने कहा प्लानिंग कमीशन और हम हमारे देश में सोशिलिस्टिक पेटर्न के आधार पर अर्थ व्यवस्था और समाज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं और मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वह व्यवस्था पूर्णतः सहकारिता के आधार पर हो सकती है। राजस्थान सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है उसमें इसका काफी ध्यान रखा गया है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब तक शिक्षक स्टाफ या कर्मचारी, इन्सपेक्टर्स आदि न होंगे तब तक कार्य संतोषजनक नहीं हो सकता, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि जब तक एक एक इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर ट्रेन्ड न हो जावें तब तक वांछित सफलता नहीं मिल सकती। इसलिये न सिर्फ अपने प्रान्त में शिक्षण स्कूल की व्यवस्था की गई बल्कि रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से भी यह तय किया गया है कि एक रीज़नल ट्रेनिंग स्कूल कोटा में खोलने की तजवीज़ की जाय। राजस्थान सरकार को इसमें सफलता मिली है और इसके लिए स्वीकृति दी गई है। कोटा में जिस बिल्डिंग में यह स्कूल चलाने के लिए तजवीज़ की गई है उस बिल्डिंग की मरम्मत कराने, अन्य खर्च की जरूरत है जिसके लिये १५,००० रुपयों की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि ट्रेनिंग के लिये किसको भेजना चाहिये, उसके लिए नीति निर्धारित करनी चाहिये। इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि इसकी नीति निर्धारित ही है और वह यह है कि जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स और इन्सपेक्टर्स हैं जिनका आगे प्रमोशन होता है उनके कायदे बने हुए हैं, उसी आधार पर उनको लेकर क्षेत्र का अनुभव कराकर फिर उनको स्कूल में भेजा जाता है जहां उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनका इम्तिहान होता है। उसमें जो पास होते हैं उनको लिया जाता है और जो पास नहीं होते हैं उनका दुबारा इम्तिहान होता है या उनको दुबारा बैठने का मौका दिया जाता है। यह निश्चित तौर से निर्धारित नीति है, इसके आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जो १५,००० रु० की मांग है वह रीजनल स्कूल जो होगी उसके बिल्डिंग की मरम्मत के लिए की गई है। यह रीजनल स्कूल रिज़र्व बैंक की ओर से चलेगी। उसके प्रबन्ध के लिए एक कमेटी अलग से बनादी गई है और उसका कोर्स या सिलेबस प्रेस्क्राइब कर रखा है, इसलिए इसके बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य उत्सुक हैं तो हमने नीति निर्धारित कर दी है कि अधिक से अधिक इन्सपेक्टर्स और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स कम से कम समय में ट्रेन्ड हो जांय और कोई व्यक्ति अनट्रेन्ड न रहे। शिक्षण के बारे में यही हो सकता है और क्या हो सकता है। ये ही फेक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके फैसला किया जाता है।

इसके अलावा २६,०००रु० पाइलोट स्कीम के अन्तर्गत मांगे हैं। यह आवश्यकता महसूस हुई कि छोटी छोटी सहकारी समितियों में समय और शक्ति का अधिक व्यय होता है इसलिये अधिक से अधिक शक्तिशाली सहकारी समितियां बनाई जांय और अलग अलग तरीके से काम करें। उसी के अनुसार पॉइलोट स्कीम के तौर पर जो हमने समितियें चालू की हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि हम सहकारिता को कितना महत्व देते हैं और कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को

[श्री अमृतलाल यादव]

उनसे लाभान्वित करना चाहते हैं। उनकी कई शाखाएं होती हैं उनमें से क्रय विक्रय केन्द्र भी हैं। जहां इनको खोलना उपयुक्त समझा गया वहां ये खोले गये हैं। जयपुर किशनगढ़ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।......

श्री चांदमल मेहता—आपके दिमाग में उसका महत्व है या नहीं है, लेकिन व्यापार के पोइन्ट से सोचना पड़ेगा।

श्री अमृतलाल यादव —(भाषण जारी रखते हुए)व्यापारिक पोइन्ट से भी मैं सोचता हूँ। शहर में और गांव में अलग अलग किस्म की अलग अलग वस्तुओं के लिए महत्व होता है। गावों में किसान जिन चीजों को पैदा करते हैं उन चीजों के क्रय विक्रय के लिये ज्यादा अच्छे सेन्टर हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा जयपुर शहर में दूसरी चीजों; जैसे कपड़ा, घासलेट आदि की बिक्री अधिक होती है।

श्री चांदमल मेहता—यह केन्द्र घासलेट के लिए है या क्रय-विक्रय के लिये है, इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष—It is not the question- hour. Let the hon'ble Minister reply.

श्री अमृतलाल यादव—(पूर्व क्रम से)मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो किसानों के क्रय-विक्रय केन्द्र हैं वे किसान जिन चीजों को खेत से पैदा करते हैं, अनाज तिलहन, और दूसरी कोमर्शियल, क्रोप्स कपास वगैरह, इनके लिये क्रय विक्रय केन्द्र हैं। तो आपने मुकाबिला किया था जयपुर से किशनगढ़ का और कहा था किशन-गढ़ का महत्व ज्यादा है ...

श्री चांदमल मेहता— मैंने यह नहीं कहा कि किशनगढ़ का जयपुर से ज्यादा महत्व है। ....

श्री अमृतलाल यादव—(पूर्व क्रम से)मैं जो कह रहा हूं उसे पहले सुन लीजिये। किशनगढ़ ही नहीं, खेत और गांव हैं जिनको क्रय विक्रय केन्द्र लाभान्वित करना चाहते हैं। वहीं उपयुक्त हो सकते हैं। वह तो देहात के एरिया हो सकते हैं। क्रय विक्रय केन्द्र का मूवमेंट जो है वह इसलिये है कि किसान जो कर्ज में डूबे हुए हैं, व्याज दे कर उनकी जिंदगी बरबाद होती है, इसलिये किसानों को कर्ज ज्यादा व्याज वालों से न लेना पड़े व उन्हें सस्ते व्याज से कर्ज मिल जाय और जो उसकी पैदावार हो वह जो शोषण में आ जाती है, जो लोग उससे मुनाफा कमा लेते हैं, किसान की बजाय उन मिडलमैन को नफा न हो, और उस पैदावार को वे स्वयं ठीक भाव पर बाजार में बेचें; यह उद्देश्य क्रय-विक्रय केन्द्र मूवमेंट का है।

[श्री अमृतलाल यादव]

क्रय विक्रय केन्द्र एक फसल दो फसल चले, इससे इनकी सफलता असफलता के आंकडे अभी कहना उचित नहीं होगा। जब तक वह स्थायित्व नहीं पकड़ ले, ठीक तरह से नहीं चल पड़े तब तक उसकी सफलता असफलता के बारे में कहना उचित नहीं होगा। यह जो रुपया मांगा है २६ लाख रुपया मांगा है वह पॉयलेटिंग स्कीम्स के लिये मांगा है। आपने कहा कि इसके अन्दर नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर है। जहां किसानों में सहकारिता की भावना ज्यादा हो और छोटी छोटी सहकारी समितियां मिल कर बड़ी सहकारी समितियों के रूप में काम करना चाहती हों उनको हम प्राथमिकता देंगे और जहां वातावरण ऐसा नहीं बना है वहां जो सहकारी समितियां काम करना चाहती हैं उन्हें प्रोत्साहन देंगे। डेपुटेशन्स की बात माननीय सदस्य ने कही, उनके विषय में मैं यह कहूंगा कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो सहकारी समितियां इस आधार पर बनाना चाहते हों बेशक बना सकते हैं, हम कोई मना नहीं कर सकते। इतना ध्यान रहे कि लाभ के पोइन्ट को मद्देनजर नहीं रखें। यदि लोग यह चाहें कि ब्याज पर उनको रूपया देने को नहीं रहा इसलिये ब्याज लेने के लिये सहकारी समितियां बना लें यह हम सहन नहीं करेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि मिडिल मेन नहीं रहे, इसीलिये यह पायलेट स्कीम्स खोल रहे हैं। इसलिये यह ४१००० रूपये की मांग की गई है और मैंने निवेदन किया है।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे मुझे किंचित मात्र भी संतोष नहीं हुआ। जहां मैंने कटौती के प्रस्ताव में यह बात उठाई थी कि जो व्यक्ति इन्स्पेक्टर्स की परीक्षा लेने वाले रहे हैं उनको भी लिया जाना चाहिये और जो पी. एस. सी. में रजिस्ट्रार के लिए उम्मीदवार रहे हैं उन्हें भी भेजा जाना चाहिये। इससे जो मुक्ति चाहें तो अपने आगे के प्रोमोशन का हक छोड़ कर मुक्ति ले सकते हैं। इस बारे में कहा था, कृषि करण केन्द्र खोले जा रहे हैं, उनके बारे में कहा। मैं यह मानता हूँ कि इससम्बन्ध में शायद मन्त्री महोदय के पास जवाब नहीं है। जिस मद की ओर मैंने ध्यान खींचा है उस पर गम्भीरता से सोचेंगे। जो पहले परीक्षक रह चुके हैं, जो एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार तक के एन्टाइटल्ड रह चुके हैं, उन्हें बगैर किसी शर्त के उनको शामिल किया जा सकता है। इस विश्वास पर मैं अपना पहला कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

जहां तक दूसरा कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में भी जो मैंने मुद्दे, उसूल उठाये थे उनको उड़ा दिया गया है। क्रय विक्रय केन्द्र खोलते हैं तो क्रय विक्रय केन्द्रों की यूनियन के अन्दर किन किन को लिया जा सकता है। जयपुर में तो क्रय-विक्रय यूनियन खोलें और पांव पसारें यहां से ७० मील दूर और वहां की सोसाइटीज़ का रूपया जमा करके आयन्दा वहां पनपने वाली सोसायटी को खत्म कर दें। इसका माननीय मंत्री महोदय ने खुलासा नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है कि किस आधार पर क्रय-विक्रय यूनियन खोलना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में भी उनके पास जवाब नहीं है।

[श्री चांदमल मेहता]

पर इस आशा पर कि जब तक सरकार ने इस बारे में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है कि कहां कहां व्यापारिक मंडियां हैं और कहां कहां किसान अपना माल बेचने लाते हैं, उन्हीं मंडियों में यूनियन्स खुलनी चाहिये और उनका रूपया दूसरी जगह नहीं जाना चाहिये; इसी विश्वास पर मैं अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को उनके कटौती प्रस्ताव सं० १४ और १५ वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५७, मेजर हैड ४२ सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रूपया ४९,००० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या २५—सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या २५ सामान्य प्रशासन। We can take it as moved. (विराम) प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ३५००० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४४-भू-राजस्व

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक मांग संख्या ४४-भू-राजस्व। We can take it as moved.

Page No.27

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४४, मेजर हेड ७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ३००० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६४-सामुदायिक विकास परियोजना इत्यादि

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक मांग संख्या, ६४-सामुदायिक विकास परियोजना इत्यादि। We can take it as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६४, मेजर हेड ६३ ख-सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ३,००० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६८-राजस्व लेखे के बाहर विद्युत् योजनाओं का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक मांग संख्या ६८-राजस्व लेखे के बाहर विद्युत् योजनाओं का पूंजी लेखा। We can take it as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६८, मेजर हेड ८१-राजस्व लेखे के बाहर विद्युत योजनाओं का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० २००० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५०-न्याय प्रशासन

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक मांग संख्या ५०-न्याय प्रशासन । Amendmant by Shri Chandmal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस मांग में मैंने १ रूपया की कटौती के लिये प्रस्ताव करते हुए यह मांग की है कि जो मुंसिफ न्यायालय तोड़े गये हैं उनके बारे में सरकार की असफलता के बारे में विचार करने के हेतु इस कटमोशन को लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में सरकार ने राजस्थान में कई स्थानों से मुन्सिफ न्यायालय तोड़े हैं और कई स्थान ऐसे हैं जहां से मुन्सिफ न्यायालय तोड़े हैं वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सम्मिलित कर दिया है। कई ऐसे स्थान हैं जिनको तोड़ने के आदेश तो दिये गये पिछले मंत्री मंडल की तरफ से लेकिन उस मंत्री मंडल के परिवर्तन के साथ ही वे आदेश वापिस ले लिये गये और उनको चालू रखने की आज्ञा दे दी है। कई स्थान ऐसे हैं जहां तोड़ दिये गये, वहां न तो वापिस चालू करने का आदेश दिया और न मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को सम्मिलित न्यायालय ही बनाया। माननीय अध्यक्ष, अगर इस आधार पर कहीं मुन्सिफ न्यायालय तोड़े जाते हैं कि काम का हो तो यह भी देखना चाहिये कि अगर काम के आधार पर तोड़ा है और तोड़ कर फिर चालू रखना है तो यह देखना होता है कि जो चालू है वह तोड़ दिये गये से कम महत्व का तो नहीं है। अगर कम महत्व वाले को चालू रखना है और उससे अधिक महत्व वाले को तोड़ दिया है तो वहां पर मुन्सिफ मेजिस्ट्रेटी को कम से कम सम्मलित कर दिया जावे।

अब राजस्थान में जो पिछला मंत्री मंडल था उसने कुछ मुन्सिफ न्यायालय तोड़े और उसमें किशनगढ़ का नम्बर भी था। जब किशनगढ़ का तोड़ा जो उस समय के चीफ मिनिस्टर की कोन्स्टीटुएन्सी थी और लोगों ने प्रार्थना की कि यहां से मुन्सिफ कोर्ट न तोडा जावे तो यह कहा गया कि दूसरी जगह के मुन्सिफ कोर्ट भी तोड़े जावेंगे जेसे; बूंदी, कपासन और कुछ और थे। लेकिन किशनगढ़ का नम्बर मुन्सिफ अदालत को तोड़ने में सबसे पहले आया और बूंदी कपासन वगैरह का नम्बर बाद में आया और किशनगढ़ में इसको कार्यान्वित करने की पहल हुई। बाद में इस प्रकार के हुक्म हुये कि कपासन और बूंदी के मुन्सिफ कोर्ट तोड़े नहीं जावें और नहीं तोड़े गये। किशनगढ़ से बराबर मांग होती रही कि किशनगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ की जनता को उससे कितना सस्ता न्याय मिलता था उसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया गया। इसके अलावा किशनगढ़ में राजस्थान बनने से पहले कितनी सुविधाएं थीं कि वहां पर सर्किट कोर्ट थी और मुन्सिफ अपने तहसील के हैड क्वार्टर पर जाकर फैसले करते थे और उस समय जो सुविधा थी व भी खत्म हो गई। अब यह कि वहां पर मुन्सिफ का काम सिविल जज करेगा और अपील के लिये फिर दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ेगा। पहले यह होता था कि लोग अपील सिविल जज के पास कर दिया करते थे, उनको यह भी सुविधा थी।

[श्री चांदमल मेहता]

किशनगढ़ का न्यायालय तोड़ दिया गया । या तो उसको सरकार वापिस रखती या मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट सम्मिलित करती । इसके लिये मैं यह कहूँगा कि जो स्थान किशनगढ़ से कम महत्व रखते हैं वहां पर मुन्सिफ कोर्ट रखा गया । हो सकता है कि बूंदी अधिक महत्व का हो और वहां पर ज्यादा मुकदमें हों, लेकिन कपासन के मुकाबले में किशनगढ़ का कितना महत्व है और किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैड क्वार्टर जितना दूर है उतना कपासन से नहीं है । वहां पर अपील करने लोगों को जाना पड़ता है । इसके अलावा कपासन के मुकाबले में मुकदमों का नम्बर कितना है, मैं समझता हूँ कि किशनगढ़ में अधिक है । इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित आधार नहीं है कि जिसके आधार पर मन्सिफ कोर्ट तोड़े गये हैं । मैं यह कहूँगा कि उनके पास एक आधार है और वह आधार यह है कि मंत्री-मण्डल में जिन का बोल बाला है उन्हीं के स्थानों को प्रोत्साहन मिल सकता है । इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि निश्चित नीति होनी चाहिये कि जहां पर से मुन्सिफ अदालत तोड़ी जाए वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सम्मलित होने चाहिये । मगर हमारे यहां का मुन्सिफ न्यायालय तोड़ा गया है और वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं किया जा रहा है । इस तरह की बात सरकार को नहीं करनी चाहिये । उनकी नीति यह होनी चाहिये कि जनता को जल्दी से जल्दी और सस्ते से सस्ता न्याय मिले । इसके लिये अगर सरकार को कुछ ज्यादा खर्चा भी करना पड़े तो कोई ध्यान नहीं देना चाहिये । सरकार जनता पर टैक्स लगाती है और टैक्स के आधार पर सरकार चलती है । इसलिये अगर जनता के हित के लिये कुछ खर्च सरकार को करना पड़े तो उसके लिये सरकार को कुछ सोचना चाहिये । सरकार ने कुछ स्थानों पर मुन्सिफ अदालतों को बन्द करने की आज्ञा देकर फिर उनको चालू रखने की दुबारा आज्ञा दे दी । इससे यह साफ जाहिर है कि सरकार के सामने कोई निश्चित नीति इस सम्बन्ध में नहीं है जो होनी चाहिये । मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्याय मंत्री इस न्याय सम्बन्धी मांग पर विचार करेंगे । हो सकता है कि शायद उन्होंने इस मांग पर यह सोचा हो कि यह बहुत मामूली मांग है । अगर ऐसी मांग पर कोई जवाब नहीं दें तो यह सदन के लिये अपमान है । कल भी ऐसी मांग थी जिसका सम्बन्ध होम मिनिस्टर साहब से था मगर वे यहां पर मौजूद नहीं थे और उसका जवाब मुझे नहीं मिला । मैं उसके लिये यह मान कर चलूं कि वे यहां पर मौजूद नहीं थे । यह उनकी सुविधा की बात है । वे सदन की सुविधा मानें या न मानें लेकिन मैं उनसे इस सम्बन्ध में यह कहूँगा कि कपासन में मुन्सिफ कोर्ट को जब चालू किया गया तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किशनगढ़ में उसको चालू क्यों नहीं किया गया । किशनगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की मांग को क्यों नहीं पूरा किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त ने जो मुन्सिफ कोर्ट के किशनगढ़ में न होने से वहां की जनता को न्याय नहीं मिलता उसके बारे में कहते हुए यह कहा कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जहां कायम हुए हैं वे किसी उसूलों पर नहीं कायम किये गये हैं । मैं यह कहूँगा कि इसके लिए निश्चित आधार है, जैसा जैसा वे फरमावें जहां खोले जाने चाहिये यह तो संभव नहीं हो सकता । मगर निश्चित उसूलों पर खोले गए हैं । इस संबंध में मैं माननीय

[श्री रामकिशोर व्यास]

अध्यक्ष, आपके जरिये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्णय किया कि जिन मुन्सिफ अदालतों के पास काफी काम न हो, उनको काफी काम न होने की वजह से तोड़ने के लिये निश्चय किया और कहा कि वे बन्द कर दी जावें। उनका एक मकसद यह था कि किसी मुन्सिफ के पास में पूरे दिन भर का काम रहना चाहिये। अगर महीने भर में पूरे दिनों का काम नहीं रहे तो वहां पर मुन्सिफ अदालत नहीं रखी जानी चाहिये। अगर किसी मुन्सिफ के पास में दिन भर में दो या ४ केसेज ही हों तो उनमें से दो केसेज़ में तो शहादत नहीं आवे और फिर दूसरे दो केसेज़ में नोटिस सर्व न हों तो फिर उनके पास क्या काम रह जाता है ? इसलिये हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि उनके पास कम से कम इतने मुकदमे होने चाहिये जिससे दिन भर का काम उनके पास रहे, उसी आधार पर उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा और उनके लिखे पर गवर्नमेंट ने पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया था कि जहां मुन्सिफ और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हों वहां पर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटों के मुन्सिफों को अधिकार दे दिये जावे और Extra magistrate की कोर्ट हटा दी जावे। और जहां पर Extra magistrate की अदालतें हों और उनके पास काम ज्यादा हो; उनसे काम हटा कर मुन्सिफ कोर्ट को दे दिये जावें ताकि उनके पास क्रिमिनल और सिविल केसेज़ मिल कर पूरे दिन का काम रह सके। इस लिहाज से मुन्सिफ अदालतें कायम की गई। करीब करीब २० स्थान ऐसे हैं जहां पर इन्हीं उसूलों के आधार पर काम किया गया। आपने अभी किशनगढ़ के बारे में कहा। किशनगढ़ में सिविल जज है और उसको मुन्सिफ के पॉवर्स हैं। जब उसको अधिकार है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको और जनता को क्या परेशानी हो सकती है ? मुन्सिफ के पॉवर्स तो वहां के सिविल जज को दे दिये गये हैं। इसलिये उनका यह कहना कि पब्लिक को इससे तकलीफ हो रही है, यह उनका कहना वाजिब नहीं है। सिविल जज के पास ओरिजिनल सूट फायल हो सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह मुन्सिफ कोर्ट हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां से हटाया गया।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने जिन चीजों को मैंने उठाया था उनका स्पष्टीकरण नहीं किया और जो उन्होंने कहा है उससे मुझे संतोष हो, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ।...

श्री अध्यक्ष—फिर भी विद्ड्रा तो करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—यह तो लाजमी है, लेकिन कम से कम मेरे जो विचार है वे मैं सदन के सामने जरूर रखना चाहूँगा। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि जब हाईकोर्ट ने लिख कर भेज दिया कि अमुक अमुक न्यायालयों को तोड़ दिया जाना चाहिये और उसके अनुसार आपने तोड़ दिया, लेकिन तोड़ देने के बाद भी आपने उनको वापिस क्यों कायम किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई अदालत नहीं है कि हाई कोर्ट ने रिकमण्ड किया हो और वह वहां नहीं खोली गई हो। नम्बर २, आप फरमा दें तो मैं उसका जवाब दे दूं।

श्री चांदमल मेहता—आप ही फरमा दें, उसके बाद में कह दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास—हाईकोर्ट ने रिकमन्ड किया हो और हमने एक्सेप्ट नहीं किया हो।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर चालू कर दिया। पिछली सरकार ने राजस्थान गजट में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि १ जनवरी के बाद बूंदी, कपासन और फलां फलां जगह के मुन्सिफ न्यायालय तोड़े जाते हैं और जब सरकार आयी तो कहा कि फलां फलां ये न्यायालय वापिस चालू रहेंगे। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि आखिरकार वह कौनसा आधार था। किशनगढ़ वालों का मुन्सिफ न्यायालय तोड़ दिया गया और यह कहा जाता है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तोड़ दिया गया; फिर दूसरी जगह जहां कि इस प्रकार के न्यायालय थे और वे तोड़ दिये गये थे तो उनको वापिस किस आधार पर कायम किया गया? क्या आपने इस बात का कम्पेरिज़न किया कि किशनगढ़ मुन्सिफ न्यायालय और दूसरी जगहों के न्यायालयों के मुकदमों के नम्बर में कितना फर्क है। खैर! मैं इस बात को छोड़ देता हूँ।

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इससे किशनगढ़ को कोई दिक्कत नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी को इस बात का पता नहीं हो सकता कि इस न्यायालय के टूट जाने से वहां के लोगों को कितनी दिक्कत हुई है यदि इस प्रकार की जयपुर में दिक्कत होती या उनको अपनी कोन्स्टिट्युएन्सी में दिक्कत होती तो जरूर उनको इस बात का दर्द होता और उनको दिक्कत मालूम होती।

(हियर, हियर)

मंत्री महोदय ने फरमाया कि मुन्सिफ न्यायालय के केसेज़ सिविल जज़ो ले लेगी। वह ले तो लेगी, लेकिन उस व्यक्ति को आना पड़ेगा ६५ मील दूर। उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी कुछ स्थानों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय बना दिये। किशनगढ़ में मजिस्ट्रेटी न्यायालय मौजूद हैं, वहां इस प्रकार की केटेगरी क्यों न बना ली जाय कि मुन्सिफी और मजिस्ट्रेटी को एक कर दिया जाय? इससे कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी को तो दर्द नहीं होता है लेकिन कम से कम मुझे तो दर्द होता है और दर्द ही नहीं होता मैं अपना कर्तव्य भी मानता हूँ कि वहां की जनता की दिक्कतों को दूर किया जाय और चूंकि माननीय मन्त्री को दर्द न हो इसलिए मैं अपने दर्द की बात न कहूँ, यह मुमकिन नहीं। मैं फिर कहूँगा कि उनको तकलीफ की बात न मालूम हो लेकिन किशनगढ़ की जनता को तकलीफ है और किशनगढ़ की जनता को मैं ज्यादा जानता हूँ जहां से कि मैं आया हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुन्सिफी और मजिस्ट्रेटी न्यायालय को एक कर दीजिये और इसी विश्वास के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—वापिस लेने से तो दर्द दूर नहीं होने वाला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सदस्य को बड़ी जल्दी थी। माननीय गृह मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष—विद्ड्रॉ करते हैं तो फिर जवाब देने की क्या आवश्यकता है ?

एक माननीय सदस्य—इन पर हमला हो गया इसलिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बूंदी और कपासन में जैसा कि हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा मुन्सिफ न्यायालय वापिस चालू कर दिये। उसके लिए मेरा निवेदन यह है कि बूंदी में कुछ दिनों पहले एक मुन्सिफ न्यायालय तोड़ा गया।

श्री चांदमल मेहता—सुनाई नहीं दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बूंदी जिले में दो मुन्सिफियां थीं। बूंदी और नेनवा। नेनवा मुन्सफी को कुछ दिनों बाद तोड़ा गया और उसके जो केसेज़ थे वे बूंदी में आकर दर्ज रजिस्टर होगये। उसको कुछ टाइम लगा। नेनवा में अहलकार काम कर रहे थे। बूंदी में जो सूट्स थे उनमें से कुछ तो डिसमिस कर दिये और कुछ एक्सपार्टी डिसाइड हो गये। जल्दी में उसको तोड़ दिया गया था। बाद में जब स्टेटमेंट आया तो वहां के बार एसोसियेशन का कहना था कि फैसला जो किया गया है वह फेक्ट्स के अनुसार नहीं किया गया, पूरे फेक्ट्स नहीं दिये गये। रेकॉर्ड मंगवाया गया। तीन साल का रेकॉर्ड देखा गया और उस साल का रेकॉर्ड भी देखा गया। जो केसेज़ की डायरी थी और वहां जो केसेज़ पेन्डिंग थे उनकी काफी तादाद थी और काम बहुत अधिक था। सारे जिले भर में एक ही मुन्सिफ न्यायालय हो गया था।

कपासन का जहां तक ताल्लुक है मैं निवेदन करूं कि कपासन में जो सूट्स थे वे भी काफी तादाद में थे और इसी वजह से कपासन की मुन्सिफी रही। कपासन में कोई सिविल जजी भी नहीं थी और इसीलिए वहां की मुन्सिफी को कायम रखा जाना आवश्यक मालूम हुआ। किशनगढ़ में सिविल जजी थी और इसीलिए वहां की मुन्सफी को हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चांदमलजी को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

श्री जसवन्तसिंह—मंशा तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—दुख के साथ..........

श्री अध्यक्ष—दुख दूर हो गया ।

(हंसी)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या ५०, मेजर हैड २७-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को १,००० हजार तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकर की गई ।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५१-कारागार तथा बन्दी बस्तियां

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक मांग संख्या ५१-कारागार तथा बन्दी बस्तियां । यह भी इसी के बारे में है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मांग संख्या ५१, मेजर हैड २८-सदन से मंजूर हो गई थी । वोट लिये जावेंगे । कोई कट मोशन नहीं है ।

(विराम)

वह तो मेजर हैड २७ था ।

("श्री मेहता के होंगे" ऐसी आवाज)

श्री चांदमल मेहता—कट मोशन तो मैंने कईयों में दिये थे । जो सरकुलेट हुए हैं उनमें तो नहीं है । कोई डिमान्ड छोड़ी नहीं कि जिस पर मैंने अपना कटमोशन न दिया हो ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५१, मेजर हैड २८ कारागार तथा बन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में ३१, मार्च सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग, (संख्या-४) विधेयक, १६५५

(पुरः स्थापन, विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५५ पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा दी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—No, no.

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन, (नं० ४,) बिल १६५५ को विचारार्थ लिया जाय!

(स्वीकृत)

स्वीकृत हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी जल्दी मत करिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल (नम्बर ४) को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

पारितोषिक प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम, १९५५ को पारित करने संबंधी शासकीय संकल्प

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि, "कानून में एक रूपता लाने के प्रयोजनार्थ यह वांछनीय है कि राजस्थान राज्य में पारितोषिक प्रतियोगिताओं तथा उनसे संबन्धित समस्त अन्य मामलों का नियन्त्रण तथा नियमन संसद द्वारा पारित प्राइज़ कम्पीटीशन्स एक्ट् १९५५ (४२ ऑफ १९५५) द्वारा नियमित किया जाय"।

अतः संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड १ के अनुसरण में यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि उपरोक्त एक्ट राजस्थान राज्य द्वारा पारित किया जाय।

इसके बारे में दो शब्द निवेदन कर दूं। पहले, एक प्रस्ताव इस सदन में इस प्रकार का रखा गया था कि प्राइज़ पज़ल कम्पीटीशन्स नियन्त्रित किया जाय। इसके अधिकार पार्लियामेंट को नियमन के लिये दे दिया जाय, वह प्रस्ताव यहां से पास हो चुका था लेकिन यहां से पास होने के तुरन्त बाद ही इस प्रकार का एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास हो गया। यहां से प्रस्ताव के पास होने की सूचना पहुँचने से पूर्व ही वह पास हो गया था। जो एक्ट वहां पास किया गया है उसको राजस्थान में लागू करने के लिए मैंने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि उसी को यहां एडॉप्ट किया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानकारी चाहता हूँ कि क्या यह बिल जो इस सदन द्वारा पास कराया जा रहा है, क्या वह हूबहू, कॉपी टू कॉपी, सेन्टेन्स टू सेन्टेन्स, कोमा टू कोमा वही बिल है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—जो हम एडॉप्ट करने जा रहे हैं वह हूबहू वही है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जरूरी है कि जो वहां एडोप्ट किया गया है उसे यहां भी एडोप्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—We have.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सेन्ट्रल लॉ एडोप्ट करना है या टेरिटरीज़ को एक्सटेन्ड करने के लिये प्रस्ताव है, एग्ज़क्टली क्या पोज़ीशन है?

श्री रामकिशोर व्यास—जो पार्लियामेंट द्वारा पास शुदा है उसको यहां एडोप्ट किया जाय।

कु. श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारी कोन्स्टीटट्यूशनल पोज़ीशन क्या है ? क्या हमें अनिवार्य रूप से जो पार्लियामेंट द्वारा पास शुदा है उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा या हम उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इस एक्ट में एक हजार रुपये की लिमिट रखी है, उससे ज्यादा की पज़ल न ली जाय। इस प्रकार की रोक उसमें रखी गई है इससे ज्यादा अगर कोई रखता है तो उसको सजा मिल सकती है। मैं यह कहता हूं कि अक्लमन्द आदमी के लिये यह एक ऐसा साधन है जिससे वह अपनी आजीविका कमा सकता है। अक्लमन्द आदमी अपने हुनर से कुछ कमा सके और अपनी आजीविका चला सके इसलिये यह आवश्यक है कि इसमें जो एक हजार रुपये की लिमिट रखी गई है मैं समझता हूं वह बहुत कम है, उसकी जगह कम से कम पांच हजार रुपये तो होनेही चाहिये। यह रोक इसलिए लगाई गई है कि पज़ल जो निकालते हैं उसमें जो अनजान आदमी होते हैं वे इसको भरने के लिये एन्ट्री फीस आदि देते हैं, वह एक तरह का जुआ ही है; उस लिहाज से इस पर प्रतिबन्ध रहे यह खयाल में रखकर रोक लगाई गई है। कुछ प्रत्रकार भी है जो इस प्रकार के तरीके से ज्यादा लाभ उठा लेते हैं इसलिये इसमें एक हजार तक की रकम रखी गई है। मेरे ख्याल से एक हजार की रकम बहुत छोटी है, कम से कम उसकी जगह पांच हजार की लिमिट हम रखें क्योंकि लाखों पढ़े-लिखे आदमी ऐसे हैं जिनको आजीविका कमाने का मौका मिल सकता है। क्योंकि इसमें एक आदमी को एक रुपया, दो रुपया जो कुछ इसकी एन्ट्री फीस देनी होती है इतना रुपया देने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसलिये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें तरमीम करनी चाहिये, खास तौर से एक हजार की लिमिट बहुत कम है, इस लिमिट को पांच हजार तक अवश्य रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—Sound suggestion but late

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ कानूनी प्रश्न उठते हैं; उसकी सफाई हुये बगैर हम निर्णय नहीं ले सकते। जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके अन्त में यह निर्णयक रूप से लिखा गया है कि:-

संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह सभा संकल्प पारित करती है कि उपरोक्त एक्ट राजस्थान राज्य द्वारा अन्तर्ग्रहित किया जाय; यानि एडॉप्ट किया जाय।

एक्ट का जो मूल रूप है उसमें धारा (१) की सब धारा २ में यह लिखा है.- "It extends to the States of Andhra, Bombay, Madras, Orissa etc.etc."

अब अगर हमें यह एक्ट as such राजस्थान में लागू करवाना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि मूल कानून की धारा १ की उप धारा (२) में अमेन्डमेन्ट करवाना चाहिये। हमारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हमारी रजामन्दी से जो अमेन्डमेन्ट करवाना चाहते हैं वह पार्लियामेंट कर सकती है । अतएव हमारे इस प्रकार के प्रस्ताव कि हम इसको अपने यहां राजस्थान में लागू करने का निर्णय लें, यह बेमतलब की चीज है । यह मूल कानून पार्लियामेन्ट द्वारा बना हुआ है और यह कानून कहां कहां लागू किया जाय, कहां न किया जाय तो उसके लिये लिखा है That Act as suchs hould extend to a particular territory or all. यह पार्लियामेन्ट का अधिकार है । अतएव मैं यह समझता हूं कि जिस रूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस रूप में आना कोई मतलब नहीं रखता और न इसका कोई मतलब ही है । इस एक्ट को एडॉप्ट किया जावे, वैसी स्थिति में एक नया कानून हमें लाना पड़ेगा, चाहे हम वह केन्द्रीय एक्ट के आधार पर लावें या हूबहू वैसा ही ले आवें । वैसी स्थिति में हमें उस एक्ट का नाम उसकी टेरीटरी आदि के लिये, सब के लिये अलग-अलग स्पेसिफाइ करना पड़ेगा ।

"to the extent of the whole of the state of Rajasthan."

इस स्थिति में मैं यह समझता हूँ कि यह प्रस्ताव कानूनी रूप में ऐसी स्थिति में है कि हमें इसे पास करने का अधिकार है नहीं । जो कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है उस कानून को राजस्थान के लिए एक्सटेन्ड किया जा सकता है; ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए हम प्रस्ताव पास करें । तो पार्लियामेंट उस एक्ट में संशोधन कर सकती है और वह संशोधन होगा धारा १ की सब धारा (२) में । उस संशोधन के जरिये बम्बई, मद्रास इत्यादि के जहां नाम है वहां राजस्थान का नाम भी एड हो जायगा; तब वह राजस्थान की टेरीटरी में भी लागू हो जायगा । इसलिये मैं इस पर कानूनी आपत्ति उठाता हूँ उसका निर्णय होने के बाद मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—I do not think this has much force. आप जो कुछ और भी कहना चाहें कह दीजिये । piece-meal discussion is of no use.

विराम

पीस मील में डिसकसन होगा क्या ? आप कह दें अभी जो कुछ कहना है ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—यदि इस पर निर्णय हो जाता पहले कि वह लिया जा सकता है या नहीं तो फिर बाद में मुझे कहने में सहूलियत होगी ।

श्री अध्यक्ष—I do not think it is necessary. When this House adopts a Resolution that this should be adopted, there is no necessity. This will go to the parliament and then they will make the necessary amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then the Resolution should not be that it should be adopted. The Resolution should be moved requesting the patliament to extend this Act to the whole of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—The artic'e given, namely. 252, is quite clear.

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री) आप कम्पलीट कर लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने कानूनी कानूनी हिस्सा तो कह लिया, अब इस पर आप निर्णय दे दें। फिर बाद में जो कहना है वह कहूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)— भारत सरकार की यह नीति थी कि प्राइज़ कम्पीटीशन के बारे में एक ऐसा कानून बनाया जावे जो सारे भारतवर्ष पर लागू हो और इस लॉ में यूनीफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। विधान के अनुसार इसके लिए जो देश की अलग अलग स्टेटों की धारा सभाएं हैं वे सब इस मामले में पार्लियामेन्ट को अधिकृत कर सकती थीं कि पार्लियामेन्ट ऐसा कानून बनावे जो कि बनने के बाद में सब जगह एक सा लागू होता है। इस विचार से अपनी धारा सभा में भी एक प्रस्ताव रक्खा था कि हम पार्लियामेन्ट को इसके लिए अधिकार देते हैं कि वह इस सम्बन्ध में एक कानून बनावे। वह पास हुआ और भेज दिया गया। पर इसमें टैकनिकल बात इतनी सी हो गई कि वह अधिकार जो हमने पास करके भेजा थोडा बाद में पहुंचा और इसी बीच पार्लियामेन्ट ने वह एक्ट मन्जूर कर लिया। अब इस वजह से इस वक्त इस एक्ट को यहां एक्सेप्ट करने की बात आई है, जैसा कि आर्टिकल २५२ में प्रोवाइड है कि पार्लियामेन्ट में किसी एक्ट के पास हो जाने के बाद भी अगर उसको लागू करना हो किसी स्टेट में तो उसे स्टेट की धारा सभा में लाया जाकर स्वीकार किया जावे और तब वहां भी लागू हुआ समझा जावेगा; तो यह स्थिति है जो मैंने आपके सामने रख दी है। आशा है कि अब सारा मामला साफ हो गया है मैं उसी सेक्शन (अनुच्छेद) को पढ़ भी देता हूँ ताकि मामला और साफ हो जावे:

If it appears to the Legislature of two or more states to be desirable that any of the matters With respect to which parliament has no power to make laws for the states except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such states by parliament by law and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those states, it shall be lawful for parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such states and to any other states by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that state, "

श्री अध्यक्ष—सेकंड पार्ट भी पढ़ दीजिये।

"(2) Any Act so passed by parliament may be amended or repealed by an Act of parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any state to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that state. "

[श्री अध्यक्ष]

तो इससे यह बहुत स्पष्ट है कि हम प्रस्ताव पास करके एडौप्ट कर सकते है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि " And any Act so passed shall apply to such state and to any o her state by which it is adopted afterwards by resolution passd in that behalf by the House, or,......" तो इस तरह से ऐसा करने में कोई टैक्निकल मिस्टेक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो इससे सन्तोष नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष— Perhaps the hon'ble Member has not got a copy of the constitution.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir. I have looked it up; the word " adopt " as such is there.

श्री अध्यक्ष—Then may I put it to vote ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो कानूनी मुद्दा है। इसमें तो आप अपना निर्णय दे दें, इसमें वोट क्या करेगा।

श्री अध्यक्ष—I cannot give any decision.

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं तो एडवोकेट जनरल की इस पर राय ले ली जावे और अगर यह भी आप उचित नहीं समझें तो मैं मानता हूँ कि इस मानूनी आपत्ति पर भी कार्यवाही करने की इच्छा नहीं है, तो फिर यह छोडा जावे; पर मुझे यह आपत्ति अब भी सही मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—I do not think It is necessary. Let the law courts decide- If there is legal flaw, take the matter to law courts.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is what will ultimately happen, but I only want to say that I do not feel convinced by the explanation given by the Hon'ble member on the other side. That is all. If the Hon' ble speaker feels that there is no substance in the objection, we may proceed.

श्री अध्यक्ष—Yes. motion moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो प्रस्ताव माननीय गृहमंत्रीजी ने रखा है इस प्रस्ताव की मंशा है कि केन्द्रीय पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ उसको वैसा का वैसा उन्हीं शब्दों में राजस्थान

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में एप्लाई कर दिया जावे। मैं समझता हूँ कि पहले इसके कि हम इस कानून को हूबहू एप्लाई करें हमें इस बात पर फिर भी विचार करना चाहिये कि आया इस कानून में खास जगह संशोधन करके पार्लियामेंट को यह सुझाव देने की स्थिति है या नहीं, और मेरी राय में है। पार्लियामेंट को भी कभी भी अधिकार है कि संशोधन कर सकती है और हमें यह अख्तियार है कि हम सुझाव के रूप में पार्लियामेंट से दरख्वास्त करें कि अमुक अमुक कानून में ठीक समझें आप तो ऐसा ऐसा संशोधन करें। अभी जो सन्दर्भ पढ़ा गया उसमें जिक्र था कि पार्लियामेंट कभी भी इस प्रकार के कानून में संशोधन कर सकती है। तो मैं केवल इसलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे एक्ट का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि इसमें एक थोड़ी सी लूजनेस सी नजर आती है। विशेषकर......

श्री रामकिशोर व्यास—बीच में मैं थोड़ा निवेदन कर दूं कि एक यूनिफोर्म लॉ इण्डिया में बनाने की बात है और अपने को भी इसी लाइन में चलना चाहिए। राजस्थान में हम कोई सेपरेट चीज रक्खें, तो यह उचित बात नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर पार्लियामेंट को नहीं जचे तो अपने को कोई आपत्ति नहीं, पर अपनी राय तो देनी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास—हम पहले ही पार्लियामेन्ट को एम्पॉवर कर चुके हैं और अब वे इसे लेजिस्लेट कर चुके हैं तो इसलिए अब यह कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अच्छी बात है। पुराना अधिकार हमारा दिया हुआ है। उस आधार पर वैसा वैसा का बगैर किसी संशोधन के पसन्द करना ही है तो निर्णय हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—This House is perfeetly in power to put in any amendment to this reselution.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is precisely I am suggesting..

श्री अध्यक्ष—About the constitutional position. I am quite clear but if the Hon'ble Members of the House want to put in any suggestion to be incorporated in the body of this Act this House is perfectey entitled to do so.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is precisely my point. In the body of the Act I want to suggest certain amendments.

श्री अध्यक्ष—That has not come.

श्री हरिकृष्ण व्यास--That was objected to. If the whole House decides like this, that is a different matter. My suggestion is that it should decide differently, and once it decides differently, it will be for the Parliament to think whether there is any substance in it or not.

श्री अध्यक्ष—So far as the point of the Hon'ble Member coming from Bikaner is concerned, I am quite clear. He puts in certain suggestions, which this House is competent to adopt. As regards the question of constitutional aspect of the passing of this Resolution, I am very doubtful whether we can do it. If there are substantial suggestions to be made by way of an amendment in the body of this Act, this House is perfectly entitled to do.

श्री रामकिशोर व्यास – (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष–They have note been received. It is only that what the Hon'ble Member wants to adopt by indirect means.

श्री रामकिशोर व्यास—वैसे भी मैं समझता हूँ कि यूनिफोर्मिटी की तरह की बनाना चाहिये। राजस्थान का सेपरेट रहे और बाकी सारे देश का अलग रहे, तो यह ज्यादा ठीक नहीं होगा। मैं तो आपसे अब भी यही कह रहा हूँ और इसी आधार पर हाउस के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें ऐसा ही कानून बनाना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं स्थिति साफ कर दूँ। कानूनी प्रश्न जितना था एक न एक रूप से वह तय हो चुका। इसके बाद मैंने उसको नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष—We can raise the limit of the prize. (श्री व्यास से)- आप अपने प्रश्न, वाजिब प्रश्न पर आइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारे भारत में एक किस्म का कानून होना चाहिये, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। जहां तक सम्भव हो हमें एक कानून ही स्वीकार करना चाहिये। पर हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि एक कानून बन चुका है उसे लागू करने के साथ साथ पार्लियामेन्ट को सुझाव तो दे सकते हैं कि अमुक अमुक संशोधन इसमें किया जाना चाहिये और फिर अगर पार्लियामेन्ट ठीक समझेगी तो कर लेगी और उस स्थिति में अपने सुझाव के माफिक यूनिफोर्म सुधार सारे भारत के लिए हो जावेगा। इसलिए मैं केवल दो ही चीजों के बारे में अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वह यह है कि इस एक्ट की मौजूदा धाराएं है वे मुझे लूज़ नजर आती है। इस वजह से लूज़ नजर आती हैं कि लाइसेन्सिग के सिलसिले में यह अधिकार हुआ है कि एक हजार से ऊपर का इनाम नहीं देने की व्यवस्था है, जैसा कि धारा ५ में हैं; तो फिर लाइसेन्स देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसमें यह गुंजाइश रहती है कि ज्यादातर न्यूज़ पेपर्स के जरिये, कोई सिन्डीकेट है; उस सिन्डीकेट के द्वारा अलग २ अखबारों को देकर के यह कार्य किया जाता है। यदि वह एक प्राइज़ कम्पीटिशन को स्प्लिट कर लें और अलग अलग अखबारों में अलग अलग नाम से चलाना शुरू करें तो एक हजार रुपये की लिमिट को एक्सीड नहीं करते हुए भी वही का वही कार्य चलाते रहेंगे, वही का वही मेनेजमेंट होगा, वही का वही ढंग होगा, लेकिन एक हजार की लिमिट एक्सीड नहीं हो पायेगी। तो एक तो लाइसेन्स के सिलसिले में जो यह थोडी सी खामी है यदि इसको दूर किया जाय तो संभव है कि इस कानून को अमल में लाते समय ज्यादा सहूलियत मिलेगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यह जो पेनाल्टीज़ प्रेस्क्राइब की हुई हैं उन पेनाल्टीज़ के देने के बाद वही की वही चीज़ फिर से दोहराई जाय और लगातार दोहरायी जाय तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर पेनाल्टी देने का सुझाव रखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस कानून का उल्लंघन करे तो उस पर वह फाइन हो जायगा और फिर उल्लंघन करे तो फिर वही फाइन हो जायगा। तो यदि उस फाइन से उसकी आमदनी ज्याद हैं तो वह बराबर फाइन देता जायगा और कानून का उल्लंघन करता जायगा। फाइन ऐसा रखा गया है कि वह प्रोहिबिटिव नहीं है जिसकी वजह से कि वह खतरा न उठाये। एक बार करे तो वह फाइन हो लेकिन बार बार वह कानून का उल्लंघन करे तो बार बार वही फाइन न होकर उसके ऊपर जुर्माने के रूप में उसको जो सजा मिलनी चाहिए, जिसका कि वह भागीदार है तो रेग्युलर ऑफेन्स की सजा बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर देने का उसमें प्रोवीजन होना चाहिए, यह दो सुझाव हैं। मेरे और उन सुझावों के आधार पार्लियामेंट को अपनी राय भेजनी चाहिए, ऐसी मेरी मन्शा है, अध्यक्ष महोदय, और इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार करने में जल्दी न करते हुए हम पार्लियामेंट को सम्मति भेजें। जल्द बाजी नहीं करें कि चूंकि वैसा कानून बन गया है तो उसको लागू किया जाय। जिस प्रकार इस कानून का असर राजस्थान पर हो गया उसी प्रकार दूसरे राज्यों पर भी होगा। अपनी राय से यदि पार्लियामेंट को मदद मिल सकती है तो उसका फायदा सारे हिंदुस्तान के और दूसरे राज्यों को भी मिल जायगा। इसी विचार से मैंने यह सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि इन पर गम्भीरता से विचार किया जायगा क्योंकि और कोई कानूनी आधार विचार का नहीं है। इस पर इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता हूं। मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा कि रिक्वेस्ट के रूप में इस प्रस्ताव को पास करेंगे तो ठीक होगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—मैं अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा निवेदन कर चुका इस मामले में......

श्री अध्यक्ष—I put it vote.

श्री रामकिशोर व्यास—यह हाउस ने अधिकार पार्लियामेंट को दिया है कि वह इस मामले में, प्राइज़ कम्पीटिशन के मामले में, लेजिस्लेचर बनायेंगे। वह अधिकार दिया गया है। अब उसको एडॉप्ट करने का प्रस्ताव पास करना है। एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से पहले यह एक्ट बन गया और बाद में अपना प्रस्ताव पहुंचा इसलिए इसको एडॉप्ट करने की जरूरत है ? चुनांचे हम इस आधार को मान चुके हैं कि ऑल इन्डिया बेसिस पर कानून बनना चाहिए। यह हम मान चुके हैं। उसमें अब परिवर्तन करने की बात ठीक नहीं है। युनिफोर्म कानून बनना चाहिए। इसलिए हाउस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि यह एक्ट उन्होंने पास किया है उसी को एडॉप्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव न्याय मंत्री ने पारितोषिक प्रतियोगिता के संबंध में नियन्त्रण और नियमन संसद द्वारा पारित प्राइज़ कम्पीटीशनश एक्ट, १९५५ (एक्ट नं० ४२ ऑफ १९५५) को अन्तग्रहण करने के विषय में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

प्रस्ताव पास किया गया।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचारार्थ)

श्री अध्यक्ष—श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष जी,....

श्री अध्यक्ष—प्रिन्सिपल के ऊपर। We take the motion as moved.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—पहले तो मूव करने का सवाल था। पहले पेश किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—हां, पेश किया हुआ है। Consideration motion has been moved. It has not been adopted.

कुं. श्री जसवन्तसिंह—No, no. It has been moved और इसी विषय पर मैं दो-चार शब्द कहना चाहूँगा।

[श्री जसवन्तसिंह]

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आशा तो यह थी कि माननीय मंत्री जी इस बिल को इस सदन में लायेंगे तो वे यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि इस बिल को सदन के सामने लाने को क्या आवश्यकता पड़ी ? पिछले साल ही यह पंचायत एक्ट इस सदन के द्वारा पास किया गया था और उस पर बहुत अच्छी तरह विचार किया गया था। उसके बाद में उस कानून के अंतर्गत चुनाव किये गये पंचायतों के और उन चुनावों में मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे राजस्थान में एक जनहितकारी राज्य है, ऐसा सुनते हैं, वे अपने आपको ऐसा कहते हैं। उस जनहितकारी राज्य ने पंचायतों के नाम पर क्या २ जुल्म, मैं जोर देकर 'जुल्म' कहता हूँ, और हमारे मन्त्री मंडल का करीब २ यह स्वभाव हो गया है कि हर बात का चेलेन्ज ऐक्सेप्ट करते हैं और उसकी एन्क्वायरी और कमीशन...

श्री रामकिशोर व्यास—चेलेन्ज देने की भी आदत सी हो गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मंत्री मंडल की आदत सी हो गई है। 'स्वभाव' के बजाय आदत' कहलाना वे चाहते हैं तो मैं 'स्वभाव' शब्द को वापिस ले यह कहूँगा कि मंत्री मंडल की आदत हो गई है कि हमारे राजस्थान का राज्य एक जनहितकारी राज्य हो और इसके अलावा जो गलतियां अपोजिशन की ओर से दिखाई जाती हैं उनका वे चेलेन्ज भी एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि वह मेरा भी चेलेन्ज एक्सेप्ट करेंगे कि पंचायतों के सुव्यवस्था से चुनाव हुए थे।

अब इस बिल को इस सदन के सामने लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब कि पिछले साल ही यह कानून पास किया गया और उसके अन्तर्गत चुनाव किये गये ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायतों के एक्ट में यह साफ कर दिया गया था कि हमें अगर कुछ पंचायतों की सीमा इधर उधर बदलने की आवश्यकता होगी तो उन पंचायतों के क्षेत्रों में रहने वाले वाशिन्दों की राय ली जायगी और उनसे यह आवेदन पत्र आयेगा कि अमुक २ स्थान एक साथ रखकर पंचायत क्षेत्र बनायें जायं, और कुछ समय व्यतीत होने के बाद में वह पंचायत क्षेत्र बनाये जायेंगे, उससे नतीजा क्या निकला ? उससे नतीजा यह निकला कि हमारा यह साम्प्रदायिक राज्य और जातीयता का विष फैलाने वाले मंत्री मंडल के जो काम हैं और राजस्थान को जिस हद तक हमारा मंत्री मंडल ले जाना चाहता है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, और जो चुनाव साफ तौर पर हो चुके थे और जिन चुनावों में जैसा कि वह चाहते थे उसके मुआफिक उसका नतीजा नहीं निकल सकता था ; इसको मद्दे नजर रखते हुए मैं यह जोर के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कहने की हिम्मत करता हूँ कि जानबूझ कर हमारी सरकार ने, हमने जो कानून बनाये थे उनकी, अवहेलना की और अवहेलना किस तरह को उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक अमुक चुनाव क्षेत्र का एक गांव है उस गांव में ब्राहमणों की जाति काफी तादाद में है, बीच में कुछ राजपूतों के घर आ गये हैं और उनके बाद कुछ दूसरी जाति के लोग आ गये हैं। अब बीच में बाधा उत्पन्न हो गई थी।

[श्री जसवन्तसिंह]

यहां तक हमारी सरकार ने कदम उठाया कि पहले एरिया को छोड़कर बीच वाले को अलग कर दिया। उसके ऊपर फलांग मारकर पहले वाले एरिया को तीसरे के शामिल किया और बीच वाले एरिया को ५ मील दूर के एरिया में शामिल किया। ऐसा किस लिये किया ? जानबूझ कर ऐसा किया और एक अमुक पंच को जो कि उनकी मरजी का था चुनाव में लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वह चुनाव में आवे ताकि अगले इलेक्शन में वह मदद कर सके। इस बारे में मैं आगे चलकर कहूँगा कि वे जिस तरह की कार्यवाही करना चाहते हैं वह अच्छी तरह कर सकें। यदि उस पक्ष का पंच चुना गया तो उनकी मंशा के माफिक कार्य नहीं होगा इसलिये इतनी जबर्दस्त धांधली की गई और मनमानी की गई। अधिकार के जोर से पंचायतों के ऐसे चुनाव हुए कि हमारा राजस्थान राज्य जन हितकारी राज्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता। इसका नतीजा क्या निकला ? जनतन्त्रवाद की हत्या की गई और यह तो हम रोजाना देख ही रहे हैं लेकिन एक रूलिंग पार्टी कांग्रेस है उसके जो मेन उद्देश्य हैं जिनके आधार पर बढ़ बढ़ कर कहा जाता है कि गांधीजी के उद्देश्यों पर चलते हैं, उनके दर्शाये हुए मार्ग पर चलते हैं लेकिन इन सब को जानबूझ कर कितनी हत्या की गई है ? इसका नतीजा यह हुआ कि जोधपुर में एक बर नाम का गांव है, वहां पर पंचायतों के चुनाव में इस तरह की ज्यादती सरकार द्वारा की गई उसकी सुनवाई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कहीं होने नहीं दी गई। जहां कायदे माफिक सुनवाई कलेक्टर या सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट के यहां होती सबूत है कि मंत्रीजी ने वहां आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे करना। यह चतुराई जरूर की गई है कि ज्यादातर आदेश जुबानी दिये गये। बर गांव के लोग जोधपुर हाईकोर्ट में गये। हमें इस बात की जरूर खुशी है कि कम से कम न्यायालय भारतीय जनतंत्रवाद में रह गया है जिससे न्याय की आशा की जा सकती है। सरकार से तो न्याय की आशा करना उतना ही मुश्किल है जितना बालू से तेल निकालना या ईश्वर के कोप से दुनिया को कोई आदमी नहीं बचा सकता उसी तरह कोई भी सरकार से नहीं बच सकता, हालांकि आज कोई भी सरकार के पक्ष में नहीं है। उस गांव वालों ने कहा कि हमें सरकार से न्याय की आशा नहीं है क्योंकि चुनाव के समय मंत्री खुद पहुँच गये लेकिन जब विरोध में अधिक वोट पड़ने लगे तो इलेक्शन ही पोस्टपोन किया गया। यह बात सदन में कही गई और मंत्रीजी में इसकी काट करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम साबित कर सकते हैं कि अमुक अमुक स्थान पर मंत्री जी खुद पहुँचे। जब बार के गांव वालों ने यह देखा तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाने की हिम्मत की। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि न्यायालय ही एक स्थान रह गया है जहां से हमें न्याय मिल सकता है। उन्होंने क्या फैसला दिया ? यदि हमारी जन हितकारी सरकार होती तो जनता के साथ उतना ही न्याय करती जितना हाई कोर्ट ने किया। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकार द्वारा जो बेजाब्तगियां की गई हैं वे सरासर बेजाब्तगियां ही हैं और इस इलेक्शन को वेलिड नहीं समझा जा सकता। नतीजा यह निकला कि सैकड़ों की तादाद में पंचायतें कोर्ट में जाने लगीं और सरकार का जी घबरा गया। यदि आप अन्याय किसी के साथ करना चाहें तो एक हद तक कर सकते हैं........

श्री हिम्मत सिंह—हद तक भी क्यों ?

श्री जसवन्तसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) लेकिन जब हद के बाहर पहुँच जाते हैं तो ठीक नहीं रहता । चोर के पांव कच्चे होते हैं । जब तक कोई उसका सामना नहीं करता तब तक वह आगे बढ़ेगा लेकिन जब कोई चेलेन्ज करके मुकाबले में आगे आते हैं तो चोर फौरन भागने की कोशिश करता है । उसी प्रकार जब सरकार की बेजाब्तियों के बारे में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो कानून सदन द्वारा पास किया गया था उसकी अवहेलना की गई है तो नतीजा यह निकला कि हमारी सरकार डरने लगी ।

अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों को अच्छी तरह स्मरण होगा कि हमारे पिछले सेशन में इन बेजाब्तियों पर पर्दा डालने के लिये हमारे मंत्रीजी ने चुपचाप इसी बिल को पेश करने की कोशिश की थी लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से उनके इस कार्य को चेलेन्ज किया गया और कहा कि हम किसी तरह इस तरह की बेजाब्तियों को सदन में हरगिज पास नहीं करने देंगे । इस बात की खुशी है कि इस सरकार में कुछ लोग अब भी ईश्वर से डरने वाले हैं । वैसे तो ज्यादातर ईश्वर से नहीं डरते क्योंकि निधर्मी राज्य है, सेकुलर स्टेट को निधर्मी ही कहिये ।

श्री अध्यक्ष—धर्म निरपेक्ष कहिये ।

कुं० श्री जसवंतसिंह— (जारी) लेकिन कुछ साथी ईश्वर से डरते हैं । उन्होंने हम लोगों की मदद की कि वाकई इस स्टेज पर इस तरह का कानून पास करना गलत बात होगी । वे क्या कानून पास कराना चाहते थे, जो पास कराना चाहते थे वह यही है । हाई कोर्ट ने फैसला दिया विधान सभा द्वारा जो कानून पास किया गया है उस कानून की अवहेलना की गई है । जब यह हुक्म हाई कोर्ट ने दिया तो सैकड़ों की तादाद में पंचायतें रिट लेकर जाने लगीं और सरकार के हुक्म गिरने लगे जिस तरह "हाउस ओफ कार्ड्ज़ आंधी आने से गिरने लगते हैं उसी प्रकार हमारी सरकार ने फैसला और बेजाब्तिगियां गिरने लगीं । इस कानून का जब हमने विरोध किया तो इस हाउस को एडजोर्न किया गया और उसके पांच सात रोज बाद हमारे राजप्रमुख द्वारा एक ओर्डिनेन्स निकाला गया । उनकी हिम्मत सराहनीय है । हमारे यहां एक फौजी कहावत है कि दुश्मन यदि घाव लगावे और अच्छे घाव लगावे तो उसको सहराना चाहिये । तो हम हमारी सरकार की हिम्मत की जरूर सराहना करते हैं । उनकी हिम्मत देखिये । जिस कानून को पेश किया पिछले सेशन में, हमने उसका विरोध किया । हमारे उधर के कुछ साथियों ने भी मदद दी जिसकी वजह से वे पास नहीं कर सके । उसके स्थगित होने के एक हफ्ता बाद श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा सरकार ने एक ओर्डिनेन्स पास कराया और दूसरी हिम्मत यह कर रहे हैं कि उसी ओर्डिनेन्स को कानून का रूप देने के लिये यहां लाये है । वाकई उनकी हिम्मत सराहने योग्य है लेकिन हम यह जानना चाहते है कि इस कानून द्वारा आप क्या करना चाहते हैं ? वे यह करना चाहते है कि बावजूद इसके कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कानून के विरुद्ध सरकार ने जो पंचायतों के चुनाव कराये है वे रद्द समझे जावें । सरकार इस कानून द्वारा यह करना चाहती है कि वे चुनाव सही समझे जावें और आज ही से नहीं

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

जिस दिन से चुनाव हुए थे उसी तरह से सही समझे जावें बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने उसके विरूद्ध फैसला दिया है।

अब आप देखिये न्याय और जनहित कारी राज्य कायम करने का दम भरने वाले हैं उनकी हिम्मत को। हिम्मत तो सराहने लायक है। पर किस मुंह से अपने आपको डेमोक्रेसी को पनपाने वाला कहते हैं। जो अपने आपको गांधीजी के अनुयायी कहते है और ऐसा कहते हैं कि न्याय का ठेका कांग्रेस ने लिया है दूसरों ने नहीं लिया है, जिस हाई कोर्ट की इज्जत कान्स्टीट्यूशन ने इतनी ऊंची रखी है और उसी हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पंचायतों में ये बेजाब्तगियां की गई हैं, उसके हुक्म को राजस्थान सरकार रद्द करने की हिम्मत कर रही है। इससे वे अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लेंगे, चुनाव के वक्त और बीच में उन पंचायतों के जरिये जो करवाना चाहेंगे वह करवा लेंगे। पर हमें डर है, हमें डर क्या है इसके लिये मैं बताऊं। उच्च से उच्च कोटि के हाई कोर्ट के न्यायलय के हुक्म को रद्द करने के लिये यह बिल हमारे सदन के सामने लाया गया है। जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है हम ऐसे कुकार्य में कभी उनके शामिल होंगे नहीं। पर जो उस और बैठे हुए हैं उनसे मुझे अर्ज करना है, उनमें भी ईश्वर से डरने वाले हैं, चाहे मथुरादासजी का व्हिप हो या न हो, उनका चाबुक हो या न हो, उनका डंडा सर पर है या नहीं, इसकी परवाह नहीं करके राजस्थान के उज्वल नाम के लिये और गांधजी के सिद्धान्तों को पालन करने का अपना व्रत रख छोड़ा है उसको पालन करने के लिये वे फौरन इस बिल को देखेंगे ही नहीं बल्कि फाड़ कर फेंक देंगे और रद्दी की टोकरीं में डाल देंगे।

मन्त्री महोदय ने इस बिल में ४ नं० का क्लॉज़ रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को निवेदन करूं, आप गौर करें........

आप लिखते हैं: "Notwithstanding any defect or lack of from. procedure jurisdiction or power and notwithstanding anything contained in any judgment, decree cr order".

यह कोई हद्द है। मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं कि उनकी हिम्मत की सराहना करूं। हाई कोर्ट की ओर से जो ओर्डर दिया गया है उसकी परवाह नहीं करके जो सरकार ने बेजाब्तगियां की हैं उनको उसी दिन से मान्यता दी जाय। क्या कोई दूसरी सरकार ऐसी हिम्मत कर सकती है? हमारे साथी यह चाहते हैं कि जिस प्रकार हाई कोर्ट का हुक्म हुआ है उसे उसी तारीख से बैकडोर से रद्द कर देवें और जो बेजाब्तगियां की हैं उनको बनाये रखें और 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा' का मकान खड़ा कर देवें; पर यह मकान चलेगा कितने दिन!

हमारे न्यायालय के हुक्म को हम इस तरह सदन में रद्द करने की हिम्मत कर सकते हैं तो फिर कहां तो हमारा संविधान और कहां हमारे डेमोक्रेसी और जनतन्त्र को पनपाने के वायदे, कहां

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हमारा गांधीजी के सिद्धान्तों को पालन करना ! हम लोग जो कांग्रेस में नहीं हैं, वे इन्हें तो मानें न मानें कोई बात नहीं पर कांग्रेस सरकार के लिये इस प्रकार का कार्य करना हमारी समझ में नहीं आता। अगर हम इसे इस तरह पास कर देंगे; बहुमत से पास कर देंगे पर मैं समझता हूँ हमारे बहुत से साथी ईश्वर से डरेंगे, दुनिया में उनको बहुत समय निकालना है, वे व्हिप की परवाह नहीं करेंगे, स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे।

हमें डर क्या लगता है ? डर यह लगता है कि आज तो हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने का तरीका निकाला ; पिछली साल हाई कोर्ट ने पंचायतों में बरती गई बेजाब्तगियों को रद्द करने का हुक्म निकाला उस हाई कोर्ट के हुक्म को रद्द करने के लिये यह अमेंडमेंट बिल लाया गया, यह तरीका निकाला और इस तरह हाई कोर्ट को कहें कि आप अपने आपको बड़ा समझते हैं पर हम आपसे भी बड़े हैं। यह सदन यह कर सकता है, लेकिन माननीय सदस्यों को देखने की बात है कि अगर यह कानून पास कर देंगे तो यह शर्म की बात होगी। इस वख्त बहुमत से जरूर इसे पास कर देंगे पर हमें डर इस बात का लगता है, थोड़ा मुझे अफसोस है कि राजस्व मन्त्रीजी यहां नहीं हैं, उनसे जानना चाहूँ कि कहां तक सच बात है ? जिसको दर्द होता है वह हमारे पास आता है और हम क्या कर सकते हैं, मियां की दौड़ मस्जिद तक, यहां असेम्बली में, सदन में आकर अपने दिल की बाफ निकाल लें। आगे सरकार की मर्जी है कि सुने या न सुने। हम तो इस सिद्धान्त के आदमी हैं कि न तो सिफारिश ले कर जायेंगे और न सरकार के पास जायेंगे। सरकार का कर्तव्य है कि सही बात को सुने। हमारा कर्तव्य है कि हमें दुखी आकर कहे उसकी यहां कह दें...

मुझे खुशी है कि राजस्व मन्त्रीजी तशरीफ ले आये हैं।....मैं उनसे जानना चाहूँगा....

श्री अध्यक्ष—Only within the scope of this Bill.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हां, पंचायतों के सिलसिले में ही जानना चाहता हूँ....

I will not go beyond the scope, Sir.

कहां तक ठीक है, एक ऐसा सुनने में आया है कि जिसको शरीर का दर्द होता है वह अस्पताल में जाता है और जिनको आंतरिक दर्द होता है वे विधान सभा के सदस्यों के पास पहुँचते हैं। सुनते हैं कि मोरिजा नाम का गांव है आमेर तहसील में। वहां की पंचायत द्वारा ग्रेजिंग ग्राउन्ड, एक चरागाह मुकर्रर की गई और जयपुर के कानून के मुआफिक करीब करीब १००० बीघा की चरागाह मानी गई थी, उस गांव में और पंचायत ने करीब ३५० बीघा जमीन वहां चरागाह पर रखी। अब सुनने में आता है, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक सच है, रोते हुए दुखी आये ; उनका कहना है कि यह चरागाह पंचायत द्वारा तय हो गया। जब पंचायत द्वारा तय हो गया, मैं नहीं समझता कि पंचायत के मामले में राजस्व मन्त्रीजी कैसे टपक पड़े। मैं तो सदन के सामने दुख रखना

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हूँ, सही है या गलत है; यह मैं नहीं कह सकता। सुनने में आता है कि अपने साथियों को मदद करने के लिए राजस्व मन्त्रीजी ने सरपंच को पहले तो भड़काने की कोशिश की और....

(घंटी)

मैं डर बताता हूँ ...

श्री अध्यक्ष—Extraneous matters should not be placed before the House.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उस ३५० बीघा में से काश्त में जमीन दी गई तो मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मुमकिन है यह मामला भी हाई कोर्ट में जाय। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है सरकार द्वारा कहा जा सकता है कि क्यों नहीं स्टेप ले। स्पेट ले तो सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई करेंगे तो अफसरों की हिम्मत नहीं होगी।

न्यायालय में अगर जायं कि ऐसी कानून के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तो उसका क्या फेट होगा। न्यायालय में जायेंगे तो वही फेट होगा जो फेट बर गांव पंचायत का और दूसरे सैकड़ों गांवों की पंचायतों का हुआ। वे हाई कोर्ट में पहुँचे और हाई कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध फैसला किया और सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध इस सदन में फैसला करवाया चाहते हैं, तो वही फेट होगा मौरीजा के चरागाह का। हाईकोर्ट ने अगर दूसरा फैसला दिया तो सरकार सदन में दूसरा बिल लायेगी जिसमें कहा जायगा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको न मान कर यह कानून हम इसी तरह से उसी तारीख से समझेंगे जिस तारीख से हमने फैसला किया है।

हमारी सरकार यह चाहती है कि यह कानून उसी तारीख से लागू समझा जावे जिस तारीख से गल्ती की गई और गल्त कानून बनाया गया था। गल्त कानून तो नहीं बनाया गया कहना चाहिये, बल्कि उसकी अवहेलना की गई थी। हाई कोर्ट का इसमें कोई दखल नहीं होगा। मगर मैंने मिसाल इसलिये दी है कि यदि किसी की हिम्मत हुई तो हाई कोर्ट में जा सकता है और इस सम्बन्ध में फैसला हो सकता है। हमारी सरकार के पास कानून बनाने के बहुत से तरीके हैं और विशेषज्ञ भी हैं। यदि हाई कोर्ट कोई फैसला देगी तो फिर यह लावेंगे हमारे सामने कानून और कहेंगे कि इसको पिछली तारीख से सही माना जावे। इस तरह से यह एक तरह से मजाक बन जाती है। यह जो जन-हितकारी राज्य हम डेमोक्रेसी के नीचे बनाने जा रहे हैं उसकी मजाक होगी। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि जो कानून हम बनावें उसको अगर किसी न्यायालय ने गलत बताया है तो हमें चाहिये कि हम इमानदारी से एक इमानदार शख्स की तरह से....

(श्री बद्रीलाल, सभापति, १०.५२ पर पदासीन)

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

जो न्यायालय का हुक्म हो उसको शिरोधार्य करना चाहिये। उसके हुक्म को इस तरह से अपने बहुमत के जोर से गिरा देना, मैं मानता हूँ कि आप उसको बहुमत के बल पर गिरा सकते हैं, माननीय चेयरमेन, सर, मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार के लिये, महात्मा गांधी के अनुयायियों के लिये और कांग्रेस सरकार के लिये कभी शोभनीय नहीं होगा कि वे बेकडोर से इस प्रकार का कानून बनावे। आपको इसकी क्या आवश्यकता प्रतीत हो रही है? कौनसा आप पर आकाश गिर रहा है या पृथ्वी पर प्रलय हो जावेगा, कौनसा ऐसा अनर्थ हो जावेगा जिससे हजारों आदमी मर जावेंगे? नजदीक भविष्य में तो इस प्रकार की कोई आफत आप पर आने वाली नहीं है मगर यह सरकार ऐसा न समझे कि उस पर कभी आफत नहीं आवेगी। आफत तो जरूर आवेगी, मगर वह थोड़े समय में नहीं आने वाली हैं और न आवेगी। नजदीक भविष्य में तो कोई आफत नहीं आने वाली है। फिर समझ में नहीं आता कि वह इस तरह से उच्चन्यायलयों के हुक्मों को रद्द क्यों करना चाहती है। वे ऑर्डिनेन्स चालू रख सकते थे, मगर वे नहीं रख सकते क्योंकि बीच में सदन आ जाता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग जहां तक उनका प्रश्न है कभी भी...

श्री मथुरादास माथुर—You were taken into confidence when the Ordinance was dropped.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Pardon ?

श्री मथुरादास माथुर-You were taken into confidence and consulted when the Ordinance was dropped.

कु० श्री जसवन्तसिंह-How can I ? I am not a member of the Government. मैं तो सरकार में शामिल नहीं हूँ। मेरा ..

श्री मथुरादास माथुर—Are you denying the fact, Sir ?

श्री हरिकृष्ण व्यास-Is it permissible to ask questions directly to each other ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरी जिम्मेदारी है सदन में कहने की। जो चीजें मैं गलत समझता हूँ उसमें कभी शरीक नहीं हूंगा और मैं तो यह कहूंगा कि जहां तक विरोधी पक्ष वालों का प्रश्न है वे कभी भी गलत बात में शामिल नहीं होंगे। मैं अपने माननीय मित्र श्री मथुरादासजी से कहूँगा, क्योंकि डंडा उनके हाथ में है, उनका डंडा दूसरों के सर पर गिरेगा मगर उनके सिर पर नहीं पड़ेगा और दूसरे माननीय सदस्य जो जनतन्त्र के विचार रखते हैं और जिनको यह डर नहीं है कि हमारे सिर पर डंडा है पार्टी का, जो यह समझते हैं कि हमारा प्रान्त या देश पार्टी से बड़ा है और

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

जिनमें इस प्रकार की हिम्मत हो और जो देश को पार्टी से बड़ा मानते हैं वे यही करेंगे जो न्यायोचित होगा । हमारे संविधान ने हाई कोर्ट को बहुत ऊंचा स्थान दिया है उसके हुक्म की अवहेलना, तो मैं नहीं कहूंगा और न कही जा सकती है बल्कि हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया उसको छुप छुप कर पीछे के दरवाजे से उसको रद्द करवा देना, मैं समझता हूँ कि कोई न्यायोचित बात नहीं होगी और न किसी तरह से उनके लिये शोभनीय होगा । मैं खास तौर से श्री मथुरादासजी को और दूसरे माननीय सदस्यों को जो स्वतन्त्र विचार रखते हैं और खास तौर से श्री चांदमलजी को जो कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी खुल्लम खुल्ला अपने विचार प्रकट करते हैं और बाद में उन्हें वापिस ले लेते हैं, यह उनकी कोई बात होगी, कम से कम इस मौके पर अपने स्वतन्त्र विचारों का इन्तिहाम देंगे और जनता के साथ न्याय होने के लिये और इस कारण से कि हमारे हाथ में सत्ता है इसको पास किया जावे, कभी भी इस बिल को पास नहीं होने देंगे और इसको रद्दी की टोकरी में डाले जाने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह जो बिल है इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे जो तीन महीनों के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे...

श्री मथुरादास माथुर—What will be of the Ordinance ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It will go the way it deserves to go.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Cold storage.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It will go the way it deserves to go. it shall stand completely revoked and I think this is the purpose of the motion I am making. It should be clear...

जो बिल माननीय चेअरमेन, प्रस्तुत किया जा रहा हैं, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुराने जमाने के इतिहास की एक बात की पुनरावृत्ति हो रही है । नेलसन नाम का एक बहुत बड़ा कमान्डर था, जिसका नाम माननीय सदस्यों ने इतिहास में सुना होगा । एक बार जब वह हैड क्वार्टर से आया उस समय एक अधिकारी ने उनके सामने आर्मी रेगुलेशन रख कर कहा कि आपने जो हुक्म निकाला है इट इज अगेन्स्ट दी रेगुलेशन । तो नैलसन ने उत्तर दिया "so much worst for the regulation." अगर मेरा हुक्म रेग्युलेशन से खिलाफ है तो, चूल्हे में जावे ऐसा रेग्युलेशन । नुकसान होगा तो रेग्युलेशन का होगा;मेरे हुक्म का तो कोई नुकसान नहीं होगा । कम से कम नेलसन के बारे में यह तो कहा जा सकता है कि वह इस मामले में बहादुर था । लेकिन अभी जो प्रस्ताव करते हैं और यह प्रस्ताव जिसके कारनामों की वजह से प्रस्तुत किया जा रहा है , वे तो एक अजब किस्म की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं । उनका कार्य तो अवश्य ही नेलसन का सा है मगर बहादुरी कहीं नजर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं आती। यह चीज लोगों के सामने नहीं आई है, सेक्रेटेरियेट के कमरों में छुप छुप कर की गई है कि क्या किया जा रहा है, यह किसी को मालूम नहीं हो सके। क्लॉज़ ८६ जो है उसका खून किया जा रहा है और कह सकता हूँ कि यह कोई कानून नहीं है। मैं इसको पढ़ पढ़ कर समझा समझा कर कह सकता हूँ और अगर किसी के दिमाग में (अश्रव्य) हो तो भलेही हो जावे। पंचायत एक्ट बनाया तो जिस प्रकार के फंक्शन को (अश्रव्य) किया उसको ध्यान में रखना है :

एक क्लॉज़ ३ दिया उसमें यह कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां म्युनिसिपेल्टी, पंचायतें बनी हुई नहीं हों वहां पर राज्य सरकार पंचायत सर्कल्स बना सकती हैं।

उसके बाद दूसरे ऐसे क्षेत्र आये हैं कि जहां पहले से पंचायतें काम कर रही हैं या पूरे के पूरे क्षेत्र में नहीं। तो मान लीजिये कि एक गांव में पंचायत काम कर रही है, आस पास के पांच दस गांवों में नहीं कर रही है लेकिन एक गांव में जहां पंचायत काम कर रही है उसके लिए इस विधान सभा ने सब की रजामन्दी से, बहस के बाद यह कायदा बनाया जो धारा ८६ है। यदि पंचायत न हो तो राज्य सरकार तुरन्त कायम कर दे। यदि पंचायत हो पूरे के पूरे क्षेत्र में जो उसके अंग में आता है तो उसके लिए एक बंधन डाला है और वह धारा ८६ ने डाला है। धारा ८६ में कहा गया है कि

"The State Government may at any time",

अब यह बन्धन है। "After one month's notice published in the prescribed manner at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat Circle, village or other area, and by notification in the Rajasthan Gazette.

(a) include any area in a Panchayat Circle;

(d) exclude any area from a Panchayat Circle; or

(c) transfer any area from one Panchayat Circle to another.

पुरानी जहां पंचायत बनी हुई है उसमें अगर आपको गांव जोड़ना हो अथवा कुछ गांव निकालने हैं तो उस पंचायत की रिक्वेस्ट के ऊपर अथवा उस पंचायत के अन्तर्गत रहने वाले ग्रामवासियों की रिक्वेस्ट पर एक महीने का नोटिस देकर, उनका कोई उजर आये तो उनका उजर सुन कर बाद में राज्य सरकार को अधिकार था कि पंचायतों के क्षेत्र में वह रद्दोबदल करती अथवा और कार्य जो आवश्यक था वह करती।

और तीसरा, जहां पंचायतें पहले से ठीक तरीके से बनी हुई हैं, जहां एडल्ट फ्रेन्चाइज़ पहले से लागू है और पूरे के पूरे क्षेत्र के अन्दर पंचायतें बनी हुई हैं उन पंचायतों के क्षेत्र में तब्दीली करने के लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए सेक्शन ६३ है जिसमें यह कहा गया है कि शायद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पंचायत पुराने जमाने में बनी हुई हो तो एडल्ट फ्रेन्चाइज़ न हो और इस किस्म की पंचायत में पंच की कमी हो तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाय। यह सेक्शन ६३ है। राज्य सरकार ने क्या किया ? उसने तो चुनाव जीतने की दृष्टि से, अपने पक्ष को, अपने नजदीकी व्यक्तियों को, अपनी पार्टी को ही नहीं अपने दल को, अपने गुट के लोगों को लाने की दृष्टि से इस तरह के पंचायत सर्कल्ल बनवा दिये कि जिससे एक गांव से अगर १॥-२ मील के नजदीक का कोई गांव है तो वह पंचायत सर्कल में नहीं आया और ८.१० मील के फासले पर जो गांव है वे उसमें आगये और इस तरह के १५० गांव पंचायत सर्कल में आ गये। यह तो इस तरह हुआ कि एक बालक के हाथ में पेन्सिल सौंप दी जाय और कागज का टुकड़ा रख दिया जाय और कहें कि हिन्दुस्तान का नक्शा बनाओ तो उस कागज पर लकीरें ही लकीरें निकल आवेंगी जिनमें न कोई तरीका होगा, न कोई विचार होगा और न किसी प्रकार की समझ होगी। ऐसा ढांचा राजस्थान के टुकड़े टुकड़े करके किया गया है। अफसोस तो यह है कि बच्चा करता है तो वह नासमझी में करता है लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने नासमझी में नहीं किया है। अपने लोगों को नाजायज तरीके से, स्वार्थपूर्ण तरीके से, पंचायतों में लाने के लिए गुट बन्दी के तौर पर यह किया गया है। अफसोस यह है कि इस गुटबन्दी की आड़ में भी एक कांटा आ गया। इस धींगामस्ती की आड़ में माननीय चेयरमेन कानून की एक धारा आगई और वह धारा है ८६। चीफ पंचायत ऑफिसर को चाहे जैसी सिफारिश करके, टेलीफोन के जरिये कागज काले किये जा सकते हैं, नक्शे बदले जा सकते हैं लेकिन उसको बदलने की जो आधारभूत चीज़ है, पंचायतों के लोगों की रिक्वेस्ट तो हो, गांव के लोगों की दरख्वास्त तो हो, गजट में नोटिफिकेशन निकाल तो दिया, उसको चिपकवाया गया या नहीं, एक महीने में उजरदारी पेश करने का जो कानून द्वारा संरक्षण है वह दिया गया या नहीं, यह दिन-दहाड़े रोशनी में काम करना भूल गये। यह कांटा चुभने लगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? किस अंश तक कौन जिम्मेदार है उस तफसील में न जाते हुए जहां काम्प्लीमेंट्स ड्यू होने चाहिए वे दिये जाने चाहिए। इस उसूल को मानते हुए मैं यह कहूँगा कि इस विभाग के जो भूतपूर्व मन्त्रीजी थे उन्होंने उस ऐतिहासिक सम्बन्ध का पालन किया। नेल्सन का नाम उन्होंने सुना होगा। जो कानून मेरे रास्ते में आड़ हो उस कानून की बदकिस्मती है, मेरा तो नेल्सन के भांति हुक्म चलेगा ही। फर्क इतना ही है कि वह बहादुर था काम करने वाला। मैं फिर कहूँगा कि बगैर किसी को सूचना दिये, कमरे में बन्द होकर लुकाछिपी यह काम किया गया।

आखिर में क्या हुआ चेयरमेन महोदय ? आखिर में एक गांव है जिसका नाम है बर, बर के पंचायत वाले हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि यह बगैर सूचना के, बगैर नोटिस के, बगैर गांव वालों की रिक्वेस्ट के, राज्य सरकार ने पंचायत के सर्कल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है वह हमारी निगाह में गैर कानूनी है। कोई अगर थोड़ी सी संजीदगी होती और शर्म मानने वाली सरकार होती तो कहती कि गलती हो गई और कम से कम उसको सुधारा जाय। कम से कम अभी जहां जहां इस प्रकार की गलतियां हैं उनको ठीक किया जाय, तुरन्त किया जाय और आयन्दा ऐसी गलती न हो उसके लिये आदेश दिया जाय। लेकिन राज्य सरकार क्या कह रही है ? राज्य सरकार यह कह रही है कि हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, हमने गैर कानूनी काम किया था और उसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गैर कानूनी होने पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है तो क्या यह विधान सभा हमारे सामने है जहां हां पक्ष जीता' इस तरह से हाथ खड़ा करा सकते हैं। जिस समय, पिछले समय जब कि सदन एडजोर्न होने वाला था, साइनेडाइ अथवा किसी विशेष तारीख तक प्रोरोग हुआ बताते हैं, तीसरे दिन आर्डिनेन्स निकला और आज मेरे डीडवाना से आने वाले माननीय मित्र कहते हैं कि अगर तीन महीने के अन्दर सिलेक्ट कमेटी मशगूल रही तो उस ऑर्डिनेन्स का क्या होगा ? अगर उस ऑर्डिनेन्स के साथ बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत मोह है तो उस पर फूल मालायें डाल कर उसको कब्रिस्तान में ले जाइये।
(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

जिस ऑर्डिनेन्स से लोगों की भावना को छीना जाता है, जिस ऑर्डिनेन्स द्वारा जनता की भावना को कुचला जाता है वह ऑर्डिनेन्स चले। नहीं। हमारा यह कहना है कि उसको दफना दिया जाय।

एक माननीय सदस्य—अभी दफना देते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी सदन की मोहर लगेगी जब दफनावेंगे।

इसमें क्या कहा गया है चेयरमेन महोदय ? आप इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को मुलाहिजा फरमाइये। बर की पंचायत के मामले में यह लाया गया है। क्लॉज ३ नई पंचायतें लागू होने के लिए है और क्लॉज ६३ का सब क्लॉज (२) का क्षेत्र कर्मचारियों तक सीमित है अर्थात् पंचायत को भंग करना और क्षेत्र में रद्दोबदल करने के लिये केवल धारा बच गई है ८६ और उसमें लिखा है कि गांव वालों की अर्जी आनी चाहिये और नोटिस देना चाहिए। अब जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है वह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, राजस्थान एक्ट नं० २१, १६५३ धारा ८६ का संशोधन ? वह संशोधन यह है कि उप धारा (१) में जो शब्द हैं "at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat Circle, village or other area" ये विलोपित किये जांय और सदैव विलोपित किये हुये समझे जावेंगे। यह सारा का सारा संशोधन इस कानून की जान है। यह इसकी नब्ज है, यह इसकी नेत्र आर्टरी है। इसको आप काट देते हैं तो इस कानून के पंख टूट जावेंगे।

चाहते क्या हैं ? यह चाहते हैं कि हमने गलती से पंचायत एक्ट बनाते समय यह लिख दिया था कि गांव वालों की किसी न किसी रूप में सुनवाई करेंगे। आज प्रजातन्त्र के हामी, ग्रामों के अन्दर पंचायत राज्य कायम करने की दुहाई देने वाले, अपने आप इस बात का श्रेय लेने वाले महानुभाव, प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले नेतागण आज खड़े होकर यह कह रहे हैं कि अधिकार तो हमने अपने हाथ में रखे हैं। जिस एक्ट के अन्दर हमने यह बन्धन रखा था कि एक महिने के नोटिस की अड़चन थी अब वह अड़चन भी नहीं चाहते ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप अमेन्डमेन्ट को पढ़िये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) और मैं पढ़ देता हूँ। चेयरमेन महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मैं जो भी शब्द कहूं उसमें एक भी ज्यादा कमी-ज्यादा बता दें तो सरे आम मेरे आप तमाचा लगा सकते हैं।

श्री खेतसिंह—यह तो हम नहीं करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो बुजुर्गियत के नाते ऐसे शब्द नहीं कह सकता, धारा ८६ में फिर से पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है कि, " The state Govenment may at any time ofter one month's notice published in the prescribed manner" यह तो कायम है और अब तक भी यह कायम है। कौन से शब्द हटे, " at the request of the panchayat or of the residents शब्द कौन से विलोपित हुए " at the request of the panchayat or of the residents of any panchayat circle, village or other area " यह विलोपित किये जायं, यानी डिलीट यानी गायब समझे जायं और सदैव के लिये गायब समझे जांय। गांव वालों की रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस तो है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नोटिस की तो आपने भ्रूण हत्या कर दी है, यह मैं आगे बताऊंगा। पड़दे के पीछे बैठकर तीर मारा गया है, यह मैं अभी बता देता हूँ, कैसे? यह सब बातें मैंने सोच समझ कर कहीं है और जान बूझ कर कहीं हैं एक महीने के नोटिस के मामले को परदे के पीछे तीर मार कर खून किया गया है, यह कहदूं तो कोई गलत नहीं होगा। अभी जो तरमीम इसमें हो रही है उसमें यह हो रहा है कि न तो रेक्वेस्ट सुनने का, न शिकायत का और न कहने सुनने का ही अधिकार रह गया है। अब यह पंचायत एक्ट के अन्दर लवलेशमात्र नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन पंचायत राज कायम करने वालों से, जब आप उनकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते, उनकी प्रार्थना पत्र पर विचार करना नहीं चाहते, सिर्फ १००–२०० पंचायतों के चुनाव फिर से कराने के लिए राजगढ़, तारानगर, गंगानगर के अन्दर दो–चार अपने पक्ष के आदमी न आ पायें उनके चुनाव रद्द हो जाने के कारण तो क्या ऐसी गंभीर समस्या पैदा हो गई जिसके कारण जो प्रजातंत्र का बुनियादी हक हर नागरिक को है उस बुनियादी अधिकार को छीन रहे हैं? आप इस तरह कार्य करके दुनियां के सामने क्या कहेंगे? आप प्रजातंत्र के हामी हैं?

चेयरमेन महोदय, अभी अभी यह कहा गया, एक महिने के नोटिस का प्रोवीजन रखा गया है। मैं आपको बताऊं यह एक महीने के नोटिस का किस प्रकार दाह संस्कार किया गया है? संशोधन नंबर ३, राजस्थान एक्ट २१ आफ १९५३ की धारा ९३ का संशोधन। मूल एक्ट की धारा ९३ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नांकित उपधाराएं निविष्ट की जायेंगी तथा सदैव के लिये निविष्ट हुई समझी जायेंगी अर्थात् "93 (3) In making a direction for the re-constitution of a Panchayat........

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अर्थात् पहले एक्ट में जो अधिकार थे उनको रिकोन्स्टीटयूट किया जाय। अधिकारों का उपयोग करते समय और क्या होगा ?

"The State Government may order anyarea to be included in or excluded from the panchayat circle of such panchayat..."

धारा ८६ के अन्तर्गत जो कार्य करने हैं, जिनका अधिकार है वे धारा ९३ के अन्दर पहले चुपके चुपके ले लिये कि रिकोन्स्टीट्यूट का हुक्म तो हम देंगे; चाहे जिस एरिया को हम लें ले उसके लिये अलग से कोई नोटिस का उल्लेख नहीं। गांव वालों की रिक्वेस्ट रहनुमाई आदि का कहीं उल्लेख नहीं। जो माननीय मंत्री महोदय इस अमेंडमेंट को ला रहे हैं वे एक माने हुए वकील है, यह नासमझी से काम हो रहा है, यह तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं। अधिकार आपने ९३ धारा के अन्तर्गत ले लिये जो ९३ में थे नहीं। धारा ९३ का दुरुपयोग मात्र करें, इस बिल की सारी की सारी मन्शा को हटाने के लिये इस सेक्शन के अन्दर नये अधिकार दिये गये हैं जिससे धारा ८६ का तो समूल नाश हो गया।

पुराना जो काम किया उसका क्या होगा, सब सेक्शन (४) और जोड़ दिया गया, "Notwithstanding any defect or lack of form, procedure, jurisdiction or power,"

यहां ये शब्द नहीं लिखे "Notwithstanding any arbitrariness etc" बाकी सब लिखा "lack of form, procedure jurisdiction or power" अगर फोर्म ठीक नहीं होगा तो कार्यवाही नहीं होगी, प्रोसीजर ठीक नहीं होगा तो कार्यवाही नहीं होगी। जो हुक्म पहले हो चुके वे नाकाम हो गये "shall be deemed to have been made or held under sub—section (3) of section 93" अर्थात् अब तक जितना भी गोलमाल किया वह गोलमाल यह समझा जायगा, चाहे हम अधिकारी थे या नहीं, चाहे उसमें कानून का पालन किया या न किया, प्रोसीजर उसके लिये ठीक अपनाया गया हो या नहीं; लेकिन हमने जो कुछ कर दिया वह अब सेक्शन ९३ के सब सेक्शन (३) के तहत किये हुए माने जायेंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहां एक महीने के नोटिस की छूट दी है ? जो अधिकार आपने धारा ८६ के अन्तर्गत दिये हैं उन अधिकारों को धारा ९३में खारिज कर दिया है। It Shall be deemed always to have been omitted; इसका तात्पर्य यह हुआ कि धारा ८६ बेकार हो गयी। कौन धारा ८६ के सेक्शन के नजदीक भटकेगा कौन तजवीज करेगा। जब कानून जैसा कि पहले था उसके बावजूद भी ८६ को सूंघा तक नहीं, तो उसके नजदीक कौन जायगा ? ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं कि संशोधन करने की कानूनी मन्शा क्या है ? मैं आपको बताऊं मन्शा यह है कि हमने जो कुछ धान्धली कर दी वह कायम रहे, हमने जो अन्याय कर दिया छोटी मोटी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो हस्ती क्या है कि वह उसको रद्द करवा दे। हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह करार दिया है, जिस लॉ एन्ड ऑर्डर की तारीफ करते हमारे मित्र थकते नहीं, आज उसी के फैसले को फूलमालायें चढ़ाकर दफनाया गया है इस अमेंडमेन्ट के जरिये। आज जिसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया उसी को रद्द करार देने के लिये यह प्रयत्न है। तुमने कहा, यह गैर कानूनी है; तुम तो कानून का मतलब निकालने वाले हो, हम कानून बनाने वाले हैं। हमने जो कुछ किया अगर आप उसे गैर कानूनी ठहराते हैं तो हम गैर कानूनी को कानूनी बनाने की हिम्मत रखते हैं। यह तुम्हारे मुंह पर तमाचा है, आप तो केवल मतलब लगाने वाले हैं हम कनून बनाने वाले हैं। हम विधान सभा में हां पक्ष की मेजोरिटी के बल पर आपने जिसे गैर कानूनी करार दिया हम उसको फिर कानूनी करार दे सकते हैं। यही इस अमेंडमेंट लाने का मतलब है। जो फैसला सर्वोच्च न्यायलय ने दिया यह कार्य उस फैसले पर तमाचा झाडने का है; खबरदार। कानून हमने बनाया है, तुम तो उसका मतलब निकालते फिरो। हम संशोधन करवाकर उस मतलब को भी बदल सकते हैं और बदल दिया है।

मैं इस सिलसिले में एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहूँगा और वह यह है कि अभी यह कहा जावेगा, मुझे मालूम है और कोई सैक्शन नहीं है, पर अभी तकनोयत बाकी है, तो अभी यह कहा जावेगा कि वहां ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा, तसल्ली दिलाई जावेगी, और मैं स तसल्ली का एक छोटा सा चुटकला अर्ज करना चाहूँगा।

इस पंचायत एक्ट में एक धारा है जिसका नंबर है ८; और बारबार कहते हैं कि कोई मिसाल दो, कोई ठोस मिसाल दो; जानबूझ कर की हुई ऐसी कोई मिसाल दो उस दृष्टि से भी अर्ज कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहां हैं, तो यह भी एक सहूलियत का मामला हो गया। इसमें धारा है ८. जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है या कहिये कि चीफ पंचायत अफसर को यह अधिकार दिया गया है कि, "If the electors of a Panchayat Circle or of any ward thereof fail to elect the requisite number of panchas, the Chief Panchayat Officer shall appoint a person or persons as prescrbed to complete such number........., etc., etc."

अब यहां एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूं। यह धारा ८ इस पंचायत विभाग के अधिकारों का, जिसके जरिये यह कानून पास किया जा रहा है; क्या हाल हुआ यह मैं आपको सुनाता हूँ। एक तहसील है राजगढ़, जिला चूरू, बीकानेर, राजस्थान, देश भारत। उस इलाके के केन्डीडेट को तो आप पहचानते हैं और वह इसी के सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं। (हंसी) मैं कह रहा हूँ, सही है। आप वैरीफाई करलें, सरकारी लिखा-पढ़ी के हरफों से। राजगढ़ तहसील में जब पंचायतों का चुनाव शुरु हुआ तो वार्ड कैसे बने कि इस पंचायत सर्कल में ४ ब्राह्मणों के घर,

Page No.58

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गांव में कुल ३० भोमियों के घर। अब चार कैसे चुनेंगे ? अब १६ किसी वार्ड में और २४ किसी वार्ड में बिठाये। इस प्रकार के कम से कम हुक्म छ और सात थे साठ और सात। और वहां पर फिर बड़ा कन्फ्युज़न हुआ। सब के सब बोले पहले ४ बिठाओ। रिटर्निंग अफसर कहता है, यह चार जावें। अब पूछा गया ४ कौन से घर आपने चुने ? रेगरों के घर सब चले। तो रिटर्निंग अफसर जो शिफ्ट कर दिये गये हैं प्रैसाइडिंग अफसर, उन्होंने कहा कि यहां तो लॉ और आर्डर के तोड़ने का अन्देशा मालूम हुआ, कन्फ्यूज़न मालूम हुआ, झगड़े टन्टे का अन्देशा मालूम हुआ। अब गौर फरमाएं यह रेकार्ड में है। इलेक्शन पोस्टपोन किया। इलेक्शन पोस्टपोन इतना ही नहीं लेकिन वहां आने वाले........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अमेन्डमेंट जो मूव किया गया इससे सम्बन्धित है ! क्या ! यह सारा का सारा विषय से बाहर चला गया है।

श्री सभापति (श्री बद्रीलाल-प्रतापगढ़)—आप इर्रिलेवेन्ट न जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप तीन मिनिट और दें तो मैं तुरन्त साबित कर दूंगा कि अब रिलेवेन्ट हूँ।

(हंसी)

तो मैं अर्ज कर रहा था कि वह जब मामला गया कलेक्टर के पास तो कलेक्टर ने हुक्म दिया बिचारे ने। अब तो तबादला हो गया उस बिचारे का। बहुत दिन हो गये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हो गया या कर दिया गया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब साहब वह तो हुक्म हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही हो गया। गनीमत इतनी ही है कि वह अभी राजस्थान में नौकरी पर है और डर के मारे चले भी गये हों तो मैं नहीं कह सकता। तो उसने जब हुक्म दिया तो यह लिखा कि यहां वार्ड का टंटा हो रहा है, इसमें गड़बड़ है, इसकी जांच करके फिर से चुनाव कराये जावें और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जावे तब तक इधर उधर कुछ न किया जावे। यह राइटिंग में मौजूद है। इसकी नकल चाहिये आपको तो मैं प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। ओरिजिनल चाहिये तो वह भी बताने को तैयार हूँ। यह जनवरी के लगभग की बात समझिये और वह एन्क्वारी तो चल ही रही है और इधर दस-बारह रोज के अन्दर श्रीमान् चीफ पंचायत अफसर साहब ने सैक्शन ८ के अन्दर उन सारे के सारे ८०।९० जो लोग थे उनको नोमिनेट कर दिया। अगर इतनी ही बात होती तो भी सोचते कि छोटा-मोटा अफसर होगा तो गलती हो गई होगी। चूंकि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है, कलेक्टर के उस आर्डर की कापी और उस तहसील के पुराने कार्यकर्त्ताओं की तरफ से मैंने एक पिटीशन दी गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत कि आप इस पूरे रेकार्ड को पढ़कर अपना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निर्णय दें। पर यहां भी जो हुआ वह सब जानते हैं। वह दरख्वास्त समय टालने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेज दी गई। लॉ डिपार्टमेंट में आई, और मैं कहूँ कि लॉ डिपार्टमेंट ने जो निर्णय जो राय दी उससे उस एप्लीकेशन का समर्थन ही किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि कौनसी तारीख से वहां से कागज वापिस आये और कितने दिनों तक हुक्म नहीं निकला। अभी तक नहीं निकला है। फाइलों में ही वह दबा पड़ा है, तालों में बन्द पड़ा है और डेढ़-दो महीने तक पड़ा रहेगा मन्त्री महोदय की कस्टडी में। अब जो इस प्रकार का रुख लिये हुये जो सरकार है जो इस प्रकार का रेकार्ड लिये हुए विभाग है कि जो वार्ड के टन्टे का फायदा उठा कर नोमीनेशन सैक्शन ८ में कर दे उनको यदि सैक्शन ८६ के अन्दर थोड़े बहुत जो बन्धन हैं कि गांव वालों की कम से कम रिक्वेस्ट होनी चाहिए पंचायत सर्किलों की या पंचायतों की रिक्वेस्ट होनी चाहिये, जो बहुत मामूली किस्म का बन्धन है कि कम से कम गांववालों की रिक्वेस्ट हो तो कार्यवाही हो, और एक महीने का नोटिस हो, तो कार्यवाही हो, अगर इस बन्धन से भी मुक्त करने का मौका वे पावेंगे......

(घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने आप ही अपने विचार पूरा करने के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। तो इसका नतीजा यह होगा कि सैक्शन ८ की तरह सैक्शन ८६ को वे ले डूबेंगे। पंचायत राज के नाम पर उस इलाके के रहने वाले लोगों की आंख पर वे पट्टी बांधना चाहते हैं, यह इसका मतलब है, और इसलिए मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उस प्रस्ताव की मंशा यही है कि सौ दो-सौ पंचायतों के चुनाव दुबारा कर देने में कोई टंटा नहीं है, पर इस पंचायत कानून के अन्दर थोड़ा बहुत जो अधिकार दिया हुआ है उसकी धारा ८६ की इस प्रकार की छंटाई करके आगे चलना खतरनाक होगा और चैयरमैन महोदय इन चीजों को ध्यान में रखते हुए में उम्मीद करूंगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जावेगा। और इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावेगा। वह ऑर्डिनेन्स तो गया। लेकिन यदि बाद में आवश्यकता हुई तो सोच-विचार कर सिलेक्ट कमेटी का संशोधन ठीक समझेंगे तो सदन में प्रस्तुत करेंगे। पर जिस प्रकार से आज ८६ धारा के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वैसा हनन किसी हालत में नहीं होने देना चाहिये। यह मेरी राय है और इसी आशय का मेरा प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन महोदय,....

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—मेरा संशोधन है।

श्री सभापति—श्री गोपीलाल यादव।

श्री भैरूसिंह—मेरा संशोधन है इसके ऊपर पब्लिक ऑपीनियन के लिए भेजने का।

श्री सभापति—अब उन्होंने शुरू कर दिया है।

श्री गोपीलाल यादव—इस एमेंडमेंट के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (हियर, हियर एवं करतल ध्वनि)

माननीय चेयरमेन, वास्तव में यह जो एमेन्डमेंट्स इसमें रखे गये हैं वह ऐसे हैं कि जिन पर शान्तिपूर्वक विचार करना बहुत ही जरूरी है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ११.३२ पर पदासीन)

और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये पूरे सोच विचार कर वास्तव में नहीं रखे गये हैं बल्कि हाई कोर्ट के किसी निर्णय से नाराज होकर रख दिये गये है। तो मैं यह समझता हूं कि क्या ऐसी चीजें हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिये। क्या एमेंडमेंट होना चाहिए, मैं इस सम्बन्ध में एक दो बातें कह देना चाहता हूँ। मेरे नोटिस में भी एक दो ऐसी चीजें आई हैं और कुछ पंचायत आफिसर्स से बातें करने पर उन्होंने मुझे बताया है कि पंचायतों का जो कन्स्टीट्यूशन है वह बहुत सी जगह बड़ा गलत हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि एक पंचायत का हैड क्वार्टर यहा हैं उससे दो मील का गांव छोड़ दिया उसमें शामिल करने से और ६ मील दूर का गांव उसमें ले लिया है। तो मैं यह समझता हूं कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि गांव के लोगों को कन्सल्ट। किये बगैर ही यह चीजें बनाई गई हैं। इस लिए गांव के लोगों की एक दरख्वास्त पर आप कोई विचार नहीं रखेंगे या जो प्रोवीजन ऐसे है कि गांव के लोगों की दरख्वास्त पर वह बनाये जांय; अगर इनको भी हटा दिया जायगा तो फिर ऐसी गलतियां होगी कि पंचायतें बनाई जाती है यहां इस जगह पर और उसमें रख दिया गया है एक गांव २० मील की दूरी का, जिससे बड़ी असुविधा होने वाली है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हाउस को कि हमको यह सोचना है कि जब पंचायत राज्य दे रहे हैं और पंचायतों को बहुत बड़े अधिकार दे रहे हैं तो हम गांव के लोगों को इस बात को सुनने को तैयार नहीं हैं कि आया उनके पंचायत क्षेत्र में कोई चेन्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि गांव के लोगों की बात को सुनकर, उनकी दरख्वास्त पर विचार कर यदि आप कोई चेन्ज करना चाहते हैं तो निश्चित उनकी दरख्वास्त पर विचार कीजिये। अगर आप उनकी बातों पर विचार नहीं करना चाहते है तो मैं यह समझता हूं कि बड़ी गलती होगी। लेकिन आज एक दलील दी जा सकती है और वह यह है कि एक क्षेत्र गलत बन गया और गांव के लोगों ने दरख्वास्त नहीं दी है; ऐसे बेवकूफ हैं तो क्या गवर्नमेंट खुद ही उस चीज को ठीक नहीं करे। यह एक दलील इस सम्बन्ध में दी जा सकती है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर प्रोवीजन रखा जा सकता है, और ऐसा प्रोवीजन किस तरह से रखा जाय, यह भी जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जायगा तो वहां पर विचार हो सकता है। तो इससे एक चीज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट की जो दिक्कत है वह भी हल हो जायगी और गांव के लोगों के जो अधिकार है वे नहीं छीने जायेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से आखिर में कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं वे अच्छे नहीं हैं। चाहे जुरिस्डिक्सन की कमी

Page No.61

[श्री गोपीलाल यादव]

हो, चाहे पॉवर हो या लेक ऑफ फोर्म एन्ड प्रोसीजर हो, यह तो हो सकता है, लेकिन जुरिस्डिक्शन की अगर कमी है, अधिकार भी नहीं है तो बगैर अधिकार के एक चपरासी मिनिस्टर का ऑर्डर दे दे तो उसको मानो तो ऐसी चीज़ स्टेच्यूट बुक में रहे यह राजस्थान असेम्बली के लिए शोभा की चीज़ नहीं है।

इसके अलावा दूसरी चीज़ इस सम्बन्ध में मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जमाने में ऐसी चीज़ की गई है कि आज हाईकोर्ट से एक आदमी को कैद से छोड़ा गया तो एक दूसरा ऑर्डीनेन्स वायसराय ने बना कर उसी वक्त उसको गिरफ्तार करके जेल में रख दिया। इन चीज़ों की हम लोगों ने कांग्रेस के प्लेटफोर्म से बुराई की। तो मैं यह समझता हूँ कि यह एमेन्डमेंट लाना था, तो हाई कोर्ट ने जो आर्डर्स दिये हैं वे सब अमल लाने चाहिए थे। कई पंचायतें रद्द हो जांय तो हो जायं। उसके बाद में शान्ति के साथ बैठकर एक एक्ट बनाया जाय; तो हाईकोर्ट को यह महसूस न हो कि कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की गई है। अगर एक मामूली आदमी करता है तो उसे जेल में भेज देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट असेम्बली में वोट देकर हमारे ऑर्डर्स को इस तरह से रद्द कर सकती है यह चीज़ न तो जजेज़ के दिमाग में होनी चाहिए और न पब्लिक के दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस एमेंडमेंन्ट बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना निहायत जरूरी है। अगर आपको दिक्कत हो सकती है कि यह जल्दी करना है तो इस सेशन के अन्दर ही सिलेक्ट कमेटी को भेज दें। सेशन चल रहा है; ६,४,१० दिन, इसके अन्दर रिपोर्ट कर दें, लेकिन सिलेक्ट कमेटी को निश्चित भेजा जाय।

श्री मुकिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, जिस एक्ट को करीब करीब दो साल पहले हमने पास किया था उस एक्ट पर आज हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह के फैसले होने लगे और वह एक न्यायसंगत बात जनता के सामने भी आने लगी, तब सरकार इसमें तरमीम करने के बारे में सोच विचार करने लगी। पहले ही सरकार ने थोड़े से अधिकार पंचायतों को दिये हैं, और गांव वालों को बहुत थोड़े अधिकार मिले हैं। उसके बावजूद भी उन अधिकारों को भी सरकार छीनने लगे तो फिर वह जो पंचायत राज्य कहते हैं कि इतने राष्ट्रीय केन्द्र खोल रहे हैं, कल्याणकारी राज्य बनायेंगे, पंचायतें सारे राजस्थान में कायम करेंगे, वह कहा है। दूसरे प्रान्तों को देखते हुए मैं यह मान कर चलता हूँ कि राजस्थान में वे एक डिक्टेटशाही राज्य कायम करना चाहते हैं।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

... न कि पंचायत राज्य कायम कर रहे हैं। आज जनता के अधिकारों को २ धीरे इस तरह से छीन कर और उस जनता को इस तरह के अधिकारों से वंचित रख कर वह सरकार कितने दिन चल सकती है? यह मैं मान कर नहीं चलने वाला हूँ, क्योंकि जनता के पीछे आज शासन चलने वाला है। वह राजाओं का शासन खत्म हो गया है, अंग्रेजों का भी खत्म हो गया और इनका भी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

खत्म हो जायगा। (हियर, हियर) तो ऐसी हालत में ज्यादा अधिकार पंचायतों को देने चाहिये। दूसरे प्रान्तों को देखें और दूसरे राष्ट्रों को देखें। जब बुल्गानिन के बड़े स्वागत में काफी रुपया खर्च किया जा रहा है तो उसके शासन को भी आप देखें कि उसके शासन के अन्दर किस तरह की प्रणाली है ?

श्री मानसिंह महार—आप बुल्गानिन से मिले हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपका मतलब डिक्टेरशाही कायम करने से है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वहां पर कितने अधिकार दिये गये हैं। पंचायतों को हमारे यहां

(हंसी)

जो थोड़े घणे अधिकार मिले है जनता को सीमा बदलने के उन अधिकारों को भी छीन लें तो फिर उनके पास रह ही क्या जाता है। पंचायतों के उस वक्त जो मिनिस्टर थे वे लॉ तो जानते ही नहीं थे। उस हालत में किस तरह से आपको बताऊं कि मेरी बैराठ तहसील में एक नाम का नारा लगाया गया। मिनिस्टर ने जा जा कर ओब्लाइज़ किया लोगों को; कि जिनके हाथ और माथे फोड़े गये और जिनके मुकद्में आज कोर्ट में चल रहे हैं ...

एक माननीय सदस्य—नाम तो बताइये आप मिनिस्टर का।

श्री मुक्तिलाल मोदी—श्रीमती कमला बेनीवाल। तो ऐसी हालत में जब कि

(हंसी एवं घंटी)

उनकी कई गांवों की सीमाऐ बदली गई हैं; उनकी तारीखें बदली गई हैं इलेक्शन की, और कुछ जगह इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है। यह सारी चीजें हुई हैं। आज छाती वाले होते, अगर मर्द हैं तो सामने आकर लड़ते प्लेटफार्म पर ....

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

लेकिन यह क्या तरीका है कि हुकूमत की चीज काम में लाई जावे। यह जनता के लिये, पंचायती राज्य के तरीके के लिए कोईठीक नहीं है। कलेक्टर को दबा दिया, एस. डी. ओ. को दबा दिया और तहसीलदार को दबा दिया। यदि तहसीलदार उनकी मर्जी के खिलाफ कामंकरता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। स्कूल मास्टरों का तबादला करदिया जाता है। पटवारियों को दबाया जाता है और उनकी मर्जी के माफिक काम नहीं होता है तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ऐसी हालत में क्यां पंचायत राज्य चलाया जा

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सकता है ? कभी नहीं चलाया जा सकता और ऐसी हालत में आप लोग जनतन्त्र राज्य के बहुत थोड़े सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं, बल्कि एक भी सिद्धान्त का नहीं। आपने सब सिद्धान्तों को भुला दिया। मनुष्यता का नाम तक नहीं है और आज जिस संस्था के नाम पर आप लोगों ने बाना पहन रखा है उस संस्था के थोड़े बहुत सिद्धान्तों का तो पालन करें। लेकिन आज जिस तरह से आप कानून पास कराना चाहते हैं उस तरह के कानून के खिलाफ क्या कोई रिट नहीं करेगा ? लोग रिट जरूर करेंगे। आपके शासन की जितनी बुराइयां हैं वे सब अखबारों में छपेंगी। दूसरी जगह आपकी प्रोसिडिंग्ज़ जायेंगी तो कहेंगे कि पहले पढ़े-लिखे मिनिस्टर नहीं थे लेकिन अब तो पढ़े लिखे हैं; वे क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं ? (करतल ध्वनि)

श्री हरिराम नीनामा—यह तालियें बजाकर कहने का क्या मतलब है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी) ऐसी हालत में जब अधिकार देने चाहिये तब देना तो दूर रहा बल्कि अधिकारों को छीना जाता है। आज यदि इस तरह की बातें बन्द होतीं तो कम से कम यह बात कहते कि सुखाड़िया सरकार में ज्यादा अधिकार जनता को मिले, लेकिन आज यह बात कहने को मिलेगी कि सुखाड़िया सरकार ने जनता के अधिकार छीने हैं।

श्री हरिराम—गलत, बिल्कुल झूंठी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जानवर की सी आवाज कहां से आई ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी) ऐसी हालत में आज हाई कोर्ट ने जो फैसला किया और सारा हिन्दुस्तान यह मानता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वह न्याय संगत होता है। उन फैसलों को देख कर आज ज्यादा अधिकार दिये जाते। लेकिन उस फैसले के बावजूद भी जो अधिकार हैं उनको छीना जाता है और यह कोशिश की जाती है कि जो हाई कोर्ट ने फैसलो दिया है वह कायम नहीं रहना चाहिये और हमारा फैसला कायम रहना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, यदि आज सरकार हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए जनता को ज्यादा अधिकार देती तो अच्छा होता। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह काफी सोच-विचार करके दिया होगा। सरकार ने जो अन्धाधुंध ऑर्डर दिये हैं उस तरह के ओर्डर हाई कोर्ट ने नहीं दिये। लेकिन इस चीज को सरकार नहीं चाहती है। अपने यहां जिस तरह की धांधले बाजी चलती है उसी तरह की धांधलेबाजी हाई कोर्ट में भी चलाना चाहती है तो नहीं चलेगी। न्याय संगत चीज तो यह है कि जनता को ज्यादा अधिकार देने चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सामने जो नया कानून आया है जिसके मुतलिक कुछ मित्रों ने अपनी अपनी शंकाएं जाहिर कीं; दोनों पक्षों की ओर से बहस के अन्दर लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी शंकाएं जाहिर कीं। मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री मानसिंह महार]

कि सदन के सदस्यों को जो आज तक का तजुर्बा है उससे हम लोगों को शंका जाहिर करने के लिये काफी गुंजायश है। यदि आज तक कोई गलत बात हुई है और उससे लोगों को शंका पैदा होती है तो मैं समझता हूं सरकार का फर्ज हो जाता है कि सरकार उस शंका का समाधान करने की कोशिश करे और वह समाधान तभी हो सकता है जब या तो सरकार इस कानून को वापिस ले और यदि वापिस न ले तो सिलेक्ट कमेटी या पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज दे। जब तक ये बातें नहीं होतीं तब तक सदन के सदस्यों की शंका का समाधान होना नामुमकिन है। मैं यह समझता हूं कि हम लोग आज तक इस विधान सभा में जो कानून बनाते आये हैं उनमें अत्यधिक जल्दबाजी करते हैं। हम लोगों को कानून बहुत सोच-विचार कर बनाने चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बनाये हुए कानून बार बार हाई कोर्ट ठुकरा दे और हमको इस प्रकार के अमेन्डमेंन्ट्स लाने पड़ें। इसका मूल कारण यह है कि कानून बनाते समय हम एक तरह की घुड़ दौड़ कर बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टिप्पणी में फालतू वक्त क्यों जाया किया जाता है? मैं यह कहूंगा कि कानून बनाते वक्त जितने ठंडे दिमाग से सोचा जाय उतना ही अच्छा है। जिस नुक्ते नजर से लोग देखते हैं उनकी राय को सुना जाय, फिर कानून बनाये जांय। इसके भी आगे मैं बढ़ूं तो विरोधी पक्ष के नेता ने एक बात कही थी कि हमें इन कानूनों से और अमेन्डमेन्ट्स के किस प्रकार भय उत्पन्न होता है। उन्होंने कुछ बातें राजस्व मंत्रीजी से निवेदन की थीं। सौभाग्य से राजस्व मंत्रीजी भी यहां पधार आये हैं। मोरीजा के गोचर भूमि का प्रश्न है और यह पंचायतों से बिल्कुल सम्बन्धित प्रश्न है। मोरीजा के ऐटेसमेन्ट रेकॉर्ड में ३०० बीघा जमीन गोचर भूमि के नाम से दर्ज हो चुकी है। दर्ज होने के बाद कुछ व्यक्तियों की सिफारिश पर इस गोचर भूमि का तबादला करके सरकार की यह कोशिश हो रही है कि इस जमीन के पर्चे दिला दिये जांय। मैं यह मानने को तैयार हूं कि पर्चे दिलाये जांय लेकिन पर्चे तब दिलाये जांय जब सरकार अपनी जनरल पोलिसी तय करले कि सारी जगह की गोचर भूमि के पर्चे दिला दिये जायेंगे लेकिन जब सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिये इस प्रकार की नीति अपनाती है तो यह गलत नीति है। मैं निवेदन करूंगा कि कल ही मैं इस मामले में एडीशनल सेटलमेन्ट कमिश्नर से मिला था और मैंने नम्रता से उनसे निवेदन किया कि मैंने कुछ गोचर भूमि में काश्त करली है, आप मुझे ओव्लाइज करके उसका पर्चा दिला दीजिये। इस पर वे क्या जवाब देते हैं कि अगर आप ने गोचर भूमि में गैर कानूनी तरीके से काश्त करली है तो आपको पर्चे नहीं दिये जा सकते। मैंने कहा, क्या आपकी जबान सही है; तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तब मैंने कहा तसलीम है आपको मैं यही सुनाना चाहता था। अब मोरीजा की गोचर भूमि के बारे में आप क्या कहते हैं।........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—पंचायत एक्ट से इसका क्या ताल्लुक है?

श्री मानसिंह महार—गोचर भूमि पंचायत से ताल्लुक रखती है।

श्री उपाध्यक्ष—इस अमेन्डमेन्ट से क्या सम्बन्ध रखती है यह बात ?

श्री मानसिंह महार—राजस्व मंत्रीजी इसके लिये आश्वासन दिलायेंगे तो हम डिटेल्स में नहीं जायेंगे। अगर वे आश्वासन नहीं देंगे तो खुलासा तो करना ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप अमेन्डमेन्ट पर ही बोलिये।

श्री मानसिंह महार—(जारी) हमारी शंकाएं कैसे बढ़ रही है, मैं यह अर्ज कर रहा था। इसके लिये एक-दो मिसाल देनी ही पड़ेगी। इस गोचर भूमि के बारे में पूछे बगैर ही आप फरमाते हैं कि तालुक नहीं रखता है। उस ग्राम के उप-सरपंच यहां बैठे सुन रहे होंगे तो उनको यह सुन कर कितना दुःख होगा कि उनके गांव की गोचर भूमि पर दूसरे काश्त कर लेते हैं और ऊपर से दूसरों को दे दी जाती है। एक तरफ तो सरकार यह करती है, अगर कोई बेचारा जागीरदार............

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, बार बार मोरीजा ग्राम के चरागाह के बारे में कहा जाता है; मैं इसका कुछ खुलासा कर देना चाहता हूं।

वास्तव में बात यह है कि मोरीजा की गोचर भूमि को न तो किसी ने काश्त किया है और न ही किसी को इस भूमि के परचे दिये गये हैं। बात यह है कि वहां सेटलमेंट विभाग द्वारा डिमार्केशन किया जा रहा है। वहां के काश्तकारों ने दर्खास्त दी कि हम लोग १५—२० साल से उस जमीन की काश्त कर रहे हैं और सेटलमेंट वाले उसे चरागाह में शामिल कर रहे हैं। मैंने सेटलमेंट कमिश्नर से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है और इस बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि ऊपर से इन्फ्लुएन्स डाला जा रहा है, यह उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने रिपोर्ट इस बारे में मांगी है, जो अभी नहीं आई है और यह मामला जेर तजवीज सेटलमेंट है।

श्री मानसिंह महार—माननीय राजस्व मंत्री ने जो एक्सप्लेशन दिया उससे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है और इस प्रकार के आश्वासन के ऊपर अब ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे। गोचर भूमि के बारे में जिस चीज की आशा थी वैसी ही मेरी आशा पूरी हुई। विरोधी दल के नेता इस चीज को पूरी तरह नहीं समझा सके इसलिये मैंने यह कहा।

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं पंचायतों के बारे में कुछ निवेदन कर दूं। पंचायतों के बनाने में कुछ गड़बड़ियां रहीं, उन गडबडियों के रहने से हमारे यहां के हाई कोर्ट के सामने यह बात लाई

[श्री मानसिंह महार]

गई और हाई कोर्ट ने बड़े न्यायपूर्ण तरीके से जो पंचायतों में अवैधानिकताएं हुई थीं उन्हें नल एन्ड वोइड करार दिया । उन्हें नल एन्ड वोइड करार देने से हमारी सरकार को यह चिंता हुई कि हमने आज तक जो कुछ अवैधानिक कार्यवाहियां की हैं वे तो वेकार हो गई, अब हम अपना मनमाना तरीका नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमको यह चाहिये कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रद्द किया जाय। यह राजस्थान में ही नहीं और प्रान्तों में भी हो सकती हैं, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है । हाई कोर्ट आपको कोई आपकी गलती बताता है तो आप सिर झुका कर मानिये कि हमारे न्यायालय ने हमें ठीक रास्ता बताया है। यह तो न्यायपूर्ण बात है, पर यह कह देना कि जिस तारीख से हाई कोर्ट ने इसे नल एण्ड वोइड करार दिया उसी तारीख से उसी रूप में जनता पर थोपना चाहते हैं और उसी रूप में थोपा जायगा, यह सरासर अन्याय है; यह जनता के साथ अन्याय है, इस सदन के साथ अन्याय है और जनता के नुमायंदों के लिये तो यह महान् अन्याय है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि आज से पहले इस विभाग में जो धांधलियां हुई हैं उनको उसी रूप में बनाये रखने के लिये यह किया जा रहा है। यह मुझे विश्वास है कि यह विभाग एक ऐसे साहब के पास है इस समय कि हमें ज्यादा शंकाएं नहीं करनी चाहिये क्योंकि मैं यह मान कर चलता हूँ कि जिन साहब के पास यह विभाग है वे न्यायप्रिय व्यक्ति कहे जा सकते हैं।

आज से पहले इस विभाग में धांधलेबाजी हुई। है उसको उसी प्रकार रखने के लिये अमेंडमेंट आता है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। राजस्थान में तो यहां तक हुआ है कि शाहपुरा और मनोहरपुर दो हुक्म जाते हैं कि इन गांवों में पंचायतें खोल दी जांय। दूसरा हुक्म जाता है कि यहां म्युनिसिपैलिटी खोल दी जाय । एक गांव में पंचायत इन्सपेक्टर जाकर पंचायत के वार्ड बना देता है, दूसरे गांव में पंचायत के वार्ड बनाने जाता है तो हमारी सरकार की उपमंत्राणीजी उस गांव में जाती हैं और उस इन्स्पेक्टर को लौटा देती हैं, और कहती हैं कि एक गांव में पंचायत बनेगी और दूसरे गांव में म्युनिसिपैलिटी बनेगी जबकि एक गांव मे वार्ड बन जाते हैं। हम हमारे मुख्य मंत्रीजी को और विभागीय मंत्रीजी को बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाहियां होती हैं। शाहपुरा में पंचायत बन जाती है और मनोहरपुर के पंचायत इन्स्पेकटर को यह कह कर वापिस निकाल देती हैं कि यहां पर तो हम म्युनिसिपैलिटी बनायेंगे पंचायत की जरूरत नहीं । सरकारी अफसरों के लिये तो कहा गया चीफ पंचायत ऑफीसर हैं, उनके लिये क्या कहा जाय? बहुत कुछ यहां सदन में कहा और आशा करते थे कि सुधार होगा पर हुआ नहीं; फिर पुरानी लीकटी को पीटें इसमें कोई फायदा नहीं । पर इस प्रकार की कार्यवाही सरासर अन्याय है। पंचायतों के चुनाव में पार्टी बाजी से ऊपर उठना चाहिये। अगर हम देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गांवों में चलाना चाहते हैं तो पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर पंचायतों में ऐसे आदमी आने चाहिये जो न्याय करें।

[श्री मानसिंह महार]

पंचायतों के अन्दर ऐसे आदमियों को मुंशी मुकर्रर किया जाता है, मैं सही अर्ज कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आज राजस्थान की पंचायतों में कम पढ़े लिखे पंच होने की वजह से वहां पंचायतों में जो मुंशी लोग हैं वे ही दरअसल गांव में पंच हैं और वे आज थाणादारों के और दीगर अफसरों के एजेंट हो गये हैं। इस प्रकार की एक ताजी मिसाल पाली जिले की देना चाहता हूँ। इसकी जांच कराई जायगी तो साबित होगा कि सही है। एक व्यक्ति की लैरवा गांव में पुलिस ने मारपीट की और उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई, रामचन्द्र उसका नाम है.........

श्री खेतसिंह—यह पंचायत के अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक रखता है!

श्री मानसिंह महार—पहले सुन तो लीजिये।..........

श्री खेतसिंह—इर्रिलेवेन्ट बके जायं, उसे कैसे सुनें।...

श्री मानसिंह महार—दिमाग से काम लीजिये, यह शेरगढ़ नहीं है।

श्री खेतसिंह—शेरगढ़ नहीं है, तो जमुवा रामगढ़ भी नहीं है।

श्री मानसिंह महार—जमुवा रामगढ़ का तो पानी पी रहे हैं।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष, तो मैं अर्ज कर रहा था कि २०० रूपये रिश्वत के ले लिए और कहा इन दीगर आदमियों को फंसाने के लिए कोशिश करो..........

श्री उपाध्यक्ष—आप जनरली इस अमेंडमेंट से ताल्लुक रखने वाली बातें जो हों उन्हीं पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—इसी पर बोल रहा हूँ! उस मुंशी ने २०० रुपये पुलिस वालों को रिश्वत के दिला कर कहा कि इन इन आदमियों के और नाम लिवा देते हो सो १०००) रुपये दूंगा। इस पर उस व्यक्ति को पुलिस ने और पीटा और इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसको छत पर ले जाकर फेंक दिया और यह कह दिया कि सर फट कर मर गया। एक आदमी पुलिस कस्टडी में मारा गया और एक भी पुलिस वाले को मोअत्तिल नहीं किया गया; यह हमारे होम डिपार्टमेंट के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस बात की टालमटोल की गई। वह जो मारा गया है वह गरीब साध है और उसके कोई पुकारने वाला नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उपाध्यक्ष मोहदय, यह क्या कहा जा रहा है, पंचायत से ताल्लुक रखने वाले अमेंडमेंट पर बहस के दौरान में ?

श्री मानसिंह महार—जरा किसी तरह सुनाने तो दो। दुखड़ा जो है उसको सुनाने तो दो। जो दुख है उसको किसी तरह बोलने तो दो। अगर यहां पर नहीं सुनेंगे तो मकान पर आकर अर्ज करूंगा।

(हंसी)

सदन के कुछ मेरे माननीय मित्र इससे नाराज हो रहे हैं तो मैं उनको खुश करने के लिये यह सब दास्तान उन्हें उनके मकान पर जाकर अर्ज करूंगा और वे इसे सुनेंगे, ऐसी आशा करूंगा और फिर इस एमेन्डमेंट पर नम्र निवेदन करूंगा और सदन का ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि पंचायतों में जो कुछ धांधली हुई है उसको हम सभी लोग जानते हैं कि पंचायतों में किस प्रकार की धांधली हुई है। इसी वजह से पंचायत विभाग को जगह से दूसरी जगह दिया गया और हमारे मिनिस्टरों में भी रद्दो बदल हुआ।

अव्वल तो इसे पास ही नहीं करना चाहिये और अगर इसको पास करना है तो इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में अवश्य भेजा जावे और जो भी बातें; पब्लिक की तरफ से दरख्वास्तें आदि आवें, उससे मालूम हो और इस कानून में हों और हटाने की दरख्वास्तें हों वे न रखी जावे। उन बातों को हटा कर वाजिब तरीके से इसे लाया जावे ताकि, जनता को विश्वास हो और हम लोग भी अपना उंचा सर करके कह सकें कि हम कानून वाजिब ढंग से बनाते हैं। जब तक हम इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, कानून को सोच-समझ कर नहीं बनावेंगे तब तक ये बातें कतई भी पब्लिक के हित में नहीं हो सकती हैं। हम यह सोच सकते हैं कि हम सब यहां पर पब्लिक के हित में कर रहे हैं, मगर मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार का कानून बनाने से पब्लिक पर बहुत कुठाराघात होगा और इसका हम लोगों पर रीएक्शन होगा और हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ किया जावे वह सोच समझ कर किया जाना चाहिये। यह बात बिल्कुल गल्त है। जो कुछ किया जावे सोच समझ कर किया जावे।

श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, पंचायत विधेयक पर बहस चल रही है। इस विधे-के द्वारा हम इसमें जो संशोधन चाह रहे हैं वह विचारणीय है। सेक्शन ८९ में यह व्यवस्था है कि यदि पंचायत चुनाव क्षेत्र में किसी प्रकार का रद्दोबदल किया जाए तो वहां के स्थानीय निवासियों की सम्मति अवश्य लेनी चाहिये और ऐसा होना भी चाहिये। पंचायतें ग्रामीण निवासियों के फायदे के लिये ही तो कायम की जाती हैं। वहां के निवासियों की राय को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा हम ये शब्द हटा देना चाहते हैं और वगैर उनके निवासियों को कन्सल्ट किये, उनको शामिल लिये, हम कानून के द्वारा जैसा चाहें वैसा निर्वाचन क्षेत्र कायम कर दें। इस प्रकार की एक घटना बर में घटी और उसके बारे में जब हाई कोर्ट में रिट पेश किया गया

[श्री शम्भूसिंह]

तो हाई कोर्ट ने सरकार की विरुद्ध फैसला दिया। तो हमें जो हाई कोर्ट ने जो सलाह दी है उसकी कदर करनी जरूर चाहिये क्योंकि कानूनी मामलों में उनकी सलाह बहुत अच्छी होती है। हमें भी जब कभी इस हाउस में कानूनी बात की अड़चन होती है तो हम एडवोकेट जनरल को बुलाते हैं और उसकी सलाह लेते है। जब हम एडवोकेट जनरल की सलाह की इतनी कद्र करते हैं तो हाई कोर्ट जो न्याय के मामलों में सर्वोच्च है उसकी सलाह तो बहुत ही कदर के काबिल है और उसकी राय को हमें मान लेनी चाहिये। यदि हमें डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो हमें उनकी राय अवश्य माननी चाहिये, वहां के निवासियों की सलाह लेनी चाहिये और उनकी सलाह की कद्र करनी है तो इस प्रकार से जो हाई कोर्ट ने सलाह दी है उसकी कद्र करेंगे तो हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि हम इस प्रजातन्त्र की बातें जो यहां लाते हैं उसकी कद्र करते हैं और यदि हम उस कानून के द्वारा जो कुछ हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसके विपरीत बातें करेंगे और ऐसे कानून बनावेंगे जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे तो वाजिब नहीं होगा। आखिरकार हम कानून किसके लिये बनाते हैं? हम यहां पर बैठ कर कानून जनता के हित के लिये ही तो बनाते हैं और जो कानून हम यहां बनावें वे प्रजातन्त्र के उसूलों पर होने चाहिये। हम यहां बैठ कर जैसा चाहें जैसा कानून बना सकते हैं After all it must be a good law and not bad law.

यहां पर डेमोक्रेटिक तरीके के लॉ होने चाहिये। इस हाउस में बैठ कर हम कानून बनाते हैं तो उस समय हमें यह निश्चित आधार रखना चाहिये कि कहीं बुरे कानून नहीं बना डालें जो प्रजातन्त्र के उसूलों के खिलाफ हों। इसलिये यदि इस प्रकार के कानून बनाने की व्यवस्था की गई तो इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस पर ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं और मंत्रीजी जो इस विधेयक के इन्चार्ज हैं वे भी वकील हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अच्छे कानून के लिये यह जरूरी है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। मैं आशा करता हूँ कि वे इसको जरूर मन्जूर करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह गल्ती होगी। हाईकोर्ट ने जो सलाह दी है उसको नहीं मानेंगे तो वह एक गल्ती होगी और दूसरी गल्ती इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेजने से होगी। मैं समझता हूँ कि ऐसी गल्ती नहीं की जावेगी और इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में अवश्य भेज दिया जावेगा और मन्त्री महोदय इस बात को मंजूर करेंगे। यहां पर जो भाषण हो रहे हैं उनसे किसी प्रकार का प्रोवोकेशन होने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कानून के उसूलों पर राय दी है और गुड लॉ हमें बनाने चाहिये; बेड लॉ नहीं बनाने हैं। इसलिये हमें इसको सिलेक्ट कमेटी के पास जरूर भेजना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, जिस बिल पर आज सदन में चर्चा चल रही है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ इसमें जो...

श्री हजारीलाल शर्मा—औन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह कोई पास में सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो रही है क्या !

श्री नाथूराम मिर्धा—इस कानून की धाराओं में संशोधन किया जा रहा है उस पर बहस हुई।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में जब यह बिल आज चर्चा के लिये पेश हुआ था तो बहुत से माननीय सदस्यों के सिर में और दिमाग में बहुत ही शंकाएं पैदा हुई थीं और खास तौर से उस समय ये शंकाएं ज्यादा दौड़ने लगीं जिस समय विरोधी पक्ष के नेता ने अपना वक्तव्य दिया। मैंने विरोधी दल के नेताजी के सारे भाषण को सुना है। वह एक जनरल मीटिंग का भाषण था और उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि इस सदन में इस कानून का संशोधन कर रहे हैं वह इस तरह से मान्य और उचित नहीं है कि हमारे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है और उस हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि जो मौजूदा हमारी पंचायतों का कानून है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने के लिये हम एक संशोधन करें। यह उचित नहीं। यह इसलिये है कि पंचायतों में उनकी राय में पहले से ही वे कुछ शिकायतें महसूस कर रहे हैं।

मैंने माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में विरोधी पक्ष के जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण को सुना। उन्होंने अपने भाषण में जिस बात पर जोर दिया और यहां तक कह डाला कि यह संशोधन जो है वह प्रजातन्त्र का या लोगों के हकों का गला घोटने वाला है; उन्होंने बहुत से दावे इस सदन में किये हैं। इसके अलावा और दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण सुनने को मिले। पर माननीय उपाध्यक्ष, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दरअसल जिन परिस्थितियों की वजह से यह संशोधन करना पड़ रहा है उनके बारे में वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस कानून के पास होने से जैसे कि आसमान और जमीन एक हो जायगी, इतना बडा भारी बवन्डर, वे ऐसा सोचते हैं कि इस कानून के पास होने से हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक मैंने इस कानून को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है मैं यह कह सकता हूं कि कुछ सदस्यों के भाषण जो इस सदन में हुए है उनसे पता चलता है कि उन्होंने एक दफा भी इसको पढने की कोशिश नहीं की है और फिर भी भाषण दे डाले और चिन्ता का कारण मैं समझता हूं कि दिमाग में बन गया है और जो तरमीम हम कर रहे हैं उन पर विचार नहीं किया या उनको पढ़ा ही नहीं। मैंने इस कानून की धाराओं को देखा जिन पर हम आज गौर करने जा रहे है। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं उनको सही और उचित मानता हूं और उनका होना व्यवहारिक सा बन गया, और उनको पास करना मैं इस सदन के लिए जरूरी समझता हूं।

पंचायत कानून की धारा ९३ जो अभी इस कानून में मौजूद है वह यह कहती है कि, "All laws in force in any part of Rejasthan relating to the village panchayat are heredy repealed."

[श्री नाथूलाल मिर्धा]

जितने कानून, पंचायतों के अलग अलग रियासतों के इस राजस्थान में एक कानून बनने के पहले मौजूद थे वे इस कानून के पास होने के साथ ही रिपील समझे जावेंगे । इसका प्रोविजो यह कहता है कि, "provided that all rights created under any law so repealed shall, unless they are inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been created there under." तो पुरानी पंचायतें जो पुरानी रियासतों के अलग अलग कानून के नीचे बनी हुई थीं तो उन पंचायतों को हमने इस राजस्थान पंचायत के कानून के धारा ६३ के नीचे हमने उनको चालू समझा है, चाहे वे कानून खत्म हो गये हों। मारवाड पंचायत एक्ट जो जोधपुर की पुरानी रियासत में लागू था उसके नीचे पंचायत कानून का जो तरीका था वह एडल्ट फ्रेन्चाइज़ के ऊपर इलेक्शन का तरीका था। लेकिन राजस्थान बनने के बाद में यह कानून बनाया तो हमने इस बात का निश्चय किया कि एक एक गांव की पंचायत रखने से पंचायतों की तादाद बहुत ज्यादा हो जायगी, उनका ज्यादा नम्बर हो जायगा और उनका इफिशियेन्टली सुपरविजन नहीं हो सकेगा और इसीलिए इस कानून में वे धारायें पास कीं जिनके जरिये यह तय किया कि पंचायतें जो आगे बनेंगी उनका तरीका एडल्टफ्रेन्चाइज़ होगा और पंचायतों के क्षेत्र का दायरा मुकर्रर होगा। जो गांव नजदीक नजदीक होंगे उसमें १०, १२ गांव का प्रोवीजन किया गया और जो दूर २ गांव बसे हुए हैं उनमें दो तीन गांव जोड़ कर पंचायत का इलाका मुकर्रर किया। ये सारे इलाके गजट में पब्लिश किये गये और उसके मुताबीक सारी कार्यवाहियों जो कि चुनाव के लिए वाजिब थी उनको पूरा करके हमने चुनाव कराया। जोधपुर के कानून के नीचे वे पंचायतें हैं जो कि करीब करीब एक एक गांव की बनी हुई थीं। जिस तरह से बर की एक पंचायत है, जिसका भाषणों में उल्लेख किया गया और जिस बेसिस पर संशोधन करने और हाई कोर्ट में फैसला हुआ उसकी बिना पर इस कानून में तरमीम करने की नौबत पेश आ रही है। मारवाड़ में करीब चार सौ, पांच सौ पंचायतें थीं और वे सब एक एक गांव की पंचायतें थीं। वे एक एक गांव की पंचायतें इस धारा ६३ के मातहत उसी तरह से कानून में रखी हुई थीं और वे पंचायतें धारा ६३ के अन्तर्गत आती थीं। इन पंचायतों के पंच और सरपंच थे। जब हमने यह कानून पास किया तो उन सरकल्स के मुताबिक जो कि गजट में पब्लिश हुए थे और जिस तरह से पंचायत कानून के मातहत दूसरी जगह चुनाव हुए तो हमारी इन पंचायतों के भी उन सरकल्स के मातहत चुनाव किए गये। कारण क्या हुआ कि जो पंचायतें थीं उनमें से बहुत सी पंचायतों के हैडक्वार्टर्स वे ही रहे जो कि ऑलरेडी मौजूद थे और बहुत से जो छोटे २ थे, एक एक गांव की पंचायत थी, उनको मिलाकर उनका हैडक्वार्टर बदल कर दूसरे गांव में कर दिया गया। तो इस तरह से एक गांव का इलाका टूट कर दूसरे गांव के इलाके के साथ मिल गया और फिर हैडक्वार्टर बनाया गया। जो बड़े २ गांव थे उनके हैडक्वार्टर्स तो वे ही रहे। तो इन पुरानी पंचायतों में इस तरह की रद्दोबदली की गई; कुछ पंचायतें थीं वे उनके नामसे कायम रहीं और कुछ बहुत छोटी थीं उनमें मिलाकर दूसरी जगह हैडक्वार्टर कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा]

जब नये चुनाव हुए तो हाईकोर्ट में इस बात का दावा पेश किया कि हमारी पंचायतें इस कानून के अन्तर्गत जायज थीं और हमारी पंचायतें नहीं तोड़ी जा सकती थीं। जब तक कि धारा ८६ के नीचे एक महीने का नोटिस देकर हम पब्लिक वालों को नहीं पूछा जाता और हमको नहीं पूछा गया कि पांच छः गांव जोड़े या नहीं तो यह धारा ८६ की अवहेलना की गई है। इसलिए हमारी पुरानी पंचायतों का चार्ज नई पंचायतों के चुने हुए पंचों को नहीं देंगे। इन पुरानी पंचायतों के लोग एडल्ट फ्रेन्चाइज़ पर चुने हुए थे और अलग अलग गांव में अलग अलग पंचायतें थीं। उनका कहना यह सही है कि जब मारवाड पंचायत एक्ट में इस प्रकार का प्रोविज़न था और धारा ८६ के अन्तर्गत यह आ जाती है तो उनको क्यों तोड़ा जाता है लेकिन मैं ? आपसे अर्ज करूं कि जो एफिशियेन्सी इसके द्वारा लानी चाहिए वह नहीं आती और अलग अलग गांव की अलग अलग पंचायत कायम रखना वाजिब भी नहीं है। इसी दृष्टि से अलग अलग सरकल कायम किये गये। इसी तरह से बर की पंचायत में भी एक सरकल कायम हुआ। उन्होंने रिट की और उनकी देखा-देखी मारवाड़ के ७०, ८० पंचायतों ने भी हाइकोर्ट में रिट पेश की। जो पंचायतें इस इरादे से बनी थीं कि आगे चलकर राज्य के काम को सम्हालना है, लोगों को इन्साफ देना है, उन सब पंचावतों को हाईकोर्ट नें की गई एक रिट पर ७०, ८० पंचायतों का काम रोक दिया गया। इसी तरह ७०, ८० पंचायतों के पंचों को हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा और धन का काफी दुरुपयोग हुआ; वह आप लोगों से और सदन से छुपा हुआ नहीं है।

ऐसी सूरत में इस छोटे से अमेन्डमेन्ट के जरिये, राजस्थान की दूसरी जनता को जहां पर पहले से ऐसी पंचायतें कायम थीं, जिनमें सर्कल्स और वार्ड हमने सरकारी मशीनरी के जरिये, अपने महकमों के इन्सपेक्टरों के जरिये वार्डों का और जो सरकल्स का निर्माण करवाया था; ऐसी सूरत में उन पंचायतों को मौजूदा कानून के अन्तर्गत धारा ८६ के अन्तर्गत उनकी राय लेना वाजिब समझती है। राजस्थान के दूसरे इलाकों में जहां यह नहीं हुआ ऐसी सूरत में हाईकोर्ट के सामने वहां के लोगों ने हाईकोर्ट में रिटें पेश कर दीं इस प्रकार की डिफीकल्टी मारवाड़ के इलाके के ५००, ६०० गावों पर और आने वाली थी। जो लोग यह चाहते थे कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाय तो गत सैशन में जब कि सेशन खत्म होने वाला था इस सम्बन्धी एक बिल, संशोधन बिल सदन में लाया गया था किन्तु उसके लिए दो-तीन दिन के नोटिस की आवश्यकता थी उस पर कानूनी एतराज किया गया और वह सदन में नहीं आ सका, तो उस सम्बन्ध में सब लोगों से बातचीत होकर यह नतीज़ा निकाला गया कि इस सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्स ज़ारी किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी डिसकशन के बाद उन लोगों ने जो चर्चा की थी उन्हीं के निर्णय के अनुसार सरकार की तरफ से ऑर्डिनेन्स जारी किया गया और उसी आर्डिन्नेस को आज कानूनी रूप देने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह:—अब भी आप चाहते हैं कि हम साथ दें।

श्री नाथूराम मिर्धाः—(जारी रखते हुए) आप चाहे साथ दें, लेकिन आप अपना साथ देने में कहां तक राजी हो सकते है यह जो हंसी हो रही है उसको आप रोक दें ।

मैंने जैसा कि आपको इस चीज के लिए बताया कि इस सम्बन्ध में श्री त्यागीजी से और विरोधी दल के नेता से चर्चा करके उसके बाद में यह ऑर्डिनेंस की कार्यवाही की गई थी । लीगल्ली इस पर विचार हो गया था स्पीकर साहब के कमरे में और उनके निकट ही हुआ था और हम सब ने सोच समझ कर यह ऑर्डिनेंस का उपाय निकाला जो आज कानूनी रूप देने के लिए हमारे सामने है ।

इस तरमीम के बारे में जो बड़ा भारी भय बताया जा रहा है इसके लिए यह कहा गया जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य द्वारा कि यह बड़ी भयंकर रूप की तरमीम है जिससे सरकार मनचाहे जो कर सकेगी । उनकी जो स्पीच थी वह एक प्रकार गेलेरीज़ को पे करने का तरीका है जो उन्होंने अख्त्यार किया है । उन्होंने बडे अच्छे ढंग से यह दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान सरकार जो इस बिल में अमेन्डमेन्ट लाकर ऐसे अख्त्यारात अपने हाथों लेने जा रही है । जिससे वह मनचाहे जैसी पंचायत और पंचायत सर्कल्स में उलटफेर कर सकेगी यह रंग उन्होंने चढ़ाये जाने की कोशिश की। श्री उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन है जो इस बिल के रूप में रखा गया है । यह बिल द्वारा धारा ८६ में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उसमें जो शब्द रखे हुए हैं धारा ८६ के उपधारा "In subsection (I) the words 'at the request of the Panchayat or the residents of any Panchayat circle, village or area"

ये शब्द निकाल दिये जांय । इन शब्दों के निकाल देने से उन लोगों को जिन्होंने हाई कोर्ट में रिटें पेश कीं बडा भारी अहित हो जायगा; यह कतई बात नहीं है । हम ये शब्द निकाल कर उन लोगों को उसी केटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं जिसमें राजस्थान के अन्य लोगों को रखा गया है । सारे लोगों को पंचायत सर्कल्स बनाते वक्त इन्डिवज्युअल गांवों की कतई राय नहीं ली गई । हमने सर्कल्स बनाये सरकारी मशीनरी के जरिये और उनको अखबारों में प्रकाशित करवाया गया, उस पर लोगों ने ऐतराजात पेश किये और उनके रिप्रेज़ेन्टेशन के अनुसार उसमें रद्दोबदल भी किये गये । उस पूरे प्रोसीज़र को फॉर्मूलेट करते हुए कुछ इलाकों के सर्कल्स में रद्दोबदल किया गया । उस वक्त वे पंचायत सर्कल्स जो एक एक गांव में बटे हुए थे वे लोग आये और उन्होंने निश्चित बातें रखीं । उसी बेसिस को स्टेन्डर्ड माना गया और दूसरे लोगों के लिए भी वह मान्य किया गया। लेकिन जिन्होंने किसी प्रकार का उज्र पेश नहीं किया और जो लोग लम्बे-चौड़े सर्कल्स में नहीं समा सके और जो यह देखते थे कि यदि इस प्रकार चुनाव हुए तो हम आ नहीं सकेंगे तो उन्होंने वकीलों से सलाह मशविरा करके इस कानून में छोटासा लूप होल देख लिया और इससे कई पंचायतों को अपने कार्य को ठप्प करना पड़ा । सदन की कभी यह इच्छा नहीं थी कि कानून बनाने के बाद में इस प्रकार की रिट आजायगी और जिसके कारण पंचायतों का काम ठप्प हो जायगा ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

उन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिले । जो छोटी छोटी पंचायतों के पंच सरपंच आपसी लड़ाई झगड़े करते रहें और वकीलों को पैसा दें और हर तरह से बरबाद हों यह सदन की कानून बनाते समय कभी नियत नहीं थी और न इस प्रकार की नीयत वह आगे भी चालू रखना चाहती है। जब सेरतन खत्म होते होते जब एक बिल लाया गया जिस पर कानूनी एतराज उठा देने से एक नया रास्ता निकाला गया और यह ऑर्डिनेंन्स निकाला गया जिस बिल को आज कानूनी रूप दिया जाने के लिए सदन के सामने प्रस्तुत है ।

यह जो संशोधन क्लॉज़ १ में रख रहे हैं कि इन शब्दों को निकाल दिया जाय, मैं ऐसा कहता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों को कोई डिसएडवान्टेज नहीं मिलेगा बल्कि वे भी उतने ही फायदे में रहेंगे जितने कि राजस्थान के अन्य लोग हैं। वैसे यह बहुत फोर्मल नेचर का अमेन्डमेन्ट है । नोटिस का प्रोवीजन है धारा (१) में, ८६ में नहीं; वह यों का यों कायम रहता है ।

" The State Givernment may at any time after one month's notice publish in the prescribed manner "

अब यह शब्द निकाल दें,........

" At the request of the Panchayat or the residents of any Panchayat circle, village or area "

इन शब्दों के निकाल देने से नोटिस का प्रोवीज़न हट जाता है, ऐसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था; मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं । या तो माननीय मित्र ने इसको सही तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा है तो इसको समझ नहीं पाये होंगे । इस प्रोवीज़न को निकाल देने से कोई नोटिस का प्रोवीज़न हटता नहीं है ।

इसके अलावा जो संशोधन हमने इसमें रखा है वह इन शब्दों में रखा है :

" omitted and shall be deemed always to have been omitted "

" डीम्ड " के पहले नहीं लगाने से पहली कार्यवाही हो, इसको सही करने के लिये ये शब्द निकालने जरूरी हो गयें हैं ।

" After sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted, namely : "

[श्री नाथुराम मिर्धा]

धारा ८६ में जो मौजूदा क्लॉज़ ६ है उस क्लॉज़ छ के बाद में सातवां क्लॉज़ इसका सही रूप करने के लिये जोड़ना बहुत लाजमी हो जाता है ।

"When an order under sub-section (1) has been or is passed and the State Government orders unier sub-section (6) the re-election of Panchas to the Panchayat or Tehsil Panchayat for the altered area, it may issue further directions in respect of the number of Panchas which such Panchayat or Tehsil Panchayat shall consist of and in respect of other matters incideutal to or consequential upon such re-election."

तो जब इन पंचायत सर्कल्स को सही मान लेते हैं तो रिक्वेस्ट के बराबर अख्त्यार जो दूसरी पंचायतों को हो सकते है वही हैं और सब सेक्शन (७) को जोड़ना इसलिये लाजमी हो जाता है कि पंचों की तादाद जो पहले छोटी पंचायतों की थी डेफीनिटली चेन्ज हुई है। पंचों के चेन्ज करने के अख्त्यारात इस सब सेक्शन द्वारा लिये जाते हैं। कहीं चार-पांच गांव मिल गये और दस ग्यारह पंच हो गये इस तरह से इस सब सेक्शन (७) के जरिये इस स्कोप में पंचायत का एरिया बढ़ जाता हैं। यह एक कोन्सीक्वेन्टल चेन्ज है और इसलिये इस सब सेक्शन को जोड़ना जरूरी है।

तो यह जो धारा ८६ में चेन्ज किया गया है वह उन इलाकों की जनता को कतई नुकसान में नहीं रखती जिन इलाकों के लोगों को दूसरे इलाके के लोगों के जैसा ट्रीट किया गया है। यह संशोधन करते हुए उनके साथ कोई दूसरा ट्रीटमेन्ट नहीं करते हैं।

"**Amendment of section 93, Rajasthan Act XXI of 1953**-After sub-section, (2) of section 93 of the principal Act the following new-sub-section shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted, namely:"

मौजूदा कानून की धारा ६४ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सब क्लॉज़ेज़ हैं और जब हम यह संशोधन जो धारा ८६ में करते हैं और उन्हीं पंचायत सर्कलों को जिनके बेसिस पर नये कानून की तहत में चुनाव हुआ है उनको जब हम कायम रखना चाहते हैं तो धारा ६४ के दो सब क्लॉज़ेज़ के नीचे ये सब क्लॉज़ेज़ जोड़ना लाजमी हो जाता है और अगर हम इनको ठीक तरह से पढ़ें तो उनके बिना पढ़े हम इस कानून को सही कानून नहीं बना सकेंगे। धारा ६४ में सब क्लॉज़ (३) हम जोड़ना चाहते हैं वह इस प्रकार से पढा ज़ाता है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"In making a direction for the receonstitution of a Panchayat under sub-section (2) the State Government may order any area to be included in or excluded from the Panchayat circle of such Panchayat and may issue further directions as to the number of Panchas of the Panchayat for the altered area and as to other matters relatiug to such re-eonstitution and re-election of Panchas there-to, and nothing in section 86 shall apply or be deemed over to have applied to such inclusion or ex-clusion."

यह इसलिए लाजीमी हो जाता है कि वास्तव में तो सर्कल वही इन्क्लूड किये हैं । बहुत से नये बने हैं उनमें कुछ गांव इन्क्लूड किये हैं । कुछ को इन्क्लूड किया, जैसा पहले अर्ज किया । पुराने हैड क्वार्टर तो आसपास के गांव जैसे दिये गये हैं वैसे ही हैं । ये गांव, दूसरे पास के हैं, छोटी पंचायतों के गांव तो उनके हैं वे जोड़ दिये जावें । तो इस तरह के इन्क्लूज़न और एक्सक्लूज़न को वैलिड करने की धारा जोड़ी है ।

इसके बाद धारा चार है । वास्तव में सारी कार्यवाही की आवश्यकता को यह अधिकार देती है :

"Not-with-standing any defect or lack of form..." कोरम में. प्रोसीजर में जूरिस्डिक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा । धारा ८६ के अन्दर अगर यह संशोधन नहीं हुआ और धारा ९५-९६ के डेपूट होने की वजह से अगर कोर्टों में रिट हुई तो सारी पंचायतों के अन्दर चुनाव लड़ने पडते है और इसमें पब्लिक का समय, पैसा और आने जाने का बड़ा भारी नुकसान होगा । इस वजह से प्रोसीजर को सही करने के लिए धारा ४ को रखना जरूरी था । इसमें जो दो सब क्लॉज़ेज़ हैं वे अभी माननीय सदस्य ने पढ़े होंगे, उन्हें भी जोडना निहायत जरूरी है ।

इसके बाद क्लॉज फोर्थ अमेन्डमेन्ट का है वह यह कहता है कि **Amendment of Section 94, Rajasthan Act XXI of 1953.**—Section 94 of the princpal Act shall be omitted."

इसके बजाय हटाकर इन धाराओं को रख दिया है और पांचवां जो क्लॉज़ हैं वह जरूरी इसलिये हो जाता है कि ..

कुं० श्री जसवन्त सिंह—टाइम हो गया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं खत्म कर रहा हूँ दो मिनिट में।

कुं: श्री जसवन्तसिंह—नहीं तो फिर आप कल बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"मैं खतम हो रहा हूँ", क्या कहा?

श्री नाथूराम मिर्धा—अगर आप चाहेंगे तो खत्म हो सकते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—ये चाहें अगर तो अपन सब खत्म हो सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—तो कानून की जो धाराएं हैं वे फॉर्मेलिटी हैं और इसलिये इस संशोधित बिल में जिसको कि यह सदन कानून बनाने जा रहा है, मेरी राय में इसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं की जा रही है कि जिसकी वजह से कि लोगों को जो अख्तियारात मिलते हैं उनको या तो हम छीनने जा रहे हैं या ऐसा कोई जुल्म करने जा रहे हैं या कुछ उन लोगों को ऐसे भारी नुकसान में रक्खेंगे; ऐसी कोई डर की बात नहीं है। बल्कि उल्टा उनको तवालतों से बचाने के लिये, लोगों के धन, फालतू का लिटीगेशन और आने-जाने की तवालत को बचाने के लिए, सही रूप में रखने के लिये और पंचायती राज्य के अपने अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है और यह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निहायत जरूरी है।

ऐसी हालत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर एक एक पर विचार करते हुए हम उनपर और बहस कर सकते हैं। बहस करके हमें जल्दी से जल्दी इसको कानून का रूप दे देना चाहिये और हमें इसको जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि अब समय हो चुका है इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। अब कल सुबह साढ़े आठ बजे फिर बैठक होगी, कल सैटरडे को। कल होगी सुबह आठ बजे।

श्री श्रीदास गोयल– कल तो शनिवार है साहब?

श्री उपाध्यक्ष—यह पहले तय हो चुका है।

[श्री उपाध्यक्ष]

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३८ मिनट पर कल दिनांक ३ दिसम्बर, १९५५ को प्रातः साढे आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई.)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–२ दिसम्बर, १९५५

मनसराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।